रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 24—दिसम्बर 30, 2005 (पौष 3, 1927)

No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 24—DECEMBER 30, 2005 (PAUSA 3, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1525
भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1197
भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	13
भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गईं सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	2497
भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गईं अधिसूचनाएं	2047
भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गईं पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	629
भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गईं अधिसूचनाएं	*
भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गईं अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	3019
भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	365
भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

1—381GI/2005

CONTENTS

	Page
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1525
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1197
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	13
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	2497
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	2047
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	629
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	3019
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	365
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]
[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 2 दिसम्बर 2005

सं. 4(2)-पीयू/2005--श्री के. चन्द्रन पिल्लै, राज्य सभा सदस्य को श्री जीवन राय के राज्य सभा से सेवानिवृत्त होने पर उनके स्थान पर 01 दिसम्बर, 2005 से सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की शेष अवधि के लिए समिति का सदस्य निर्वाचित किया गया है।

जे. पी. शर्मा
निदेशक

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 दिसम्बर 2005

संकल्प

सं. फा. 4(1)/2004-हिन्दी--मंत्रियो के विभागों में परिवर्तन के फलस्वरूप, 'संसदीय कार्य और शहरी विकास मंत्री' के स्थान पर 'संसदीय कार्य और सूचना एवं प्रसारण मंत्री' संसदीय कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के अध्यक्ष होंगे। इस मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के गठन संबंधी समसंख्यक संकल्प दिनांक 28.3.2005 का पैरा 1 (क्र. सं. 1) तदनुसार आशोधित किया जाता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और मंत्रिमंडल कार्य विभाग का वेतन तथा लेखा कार्यालय, नई दिल्ली को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

पी. गोपालाकृष्णन
संयुक्त सचिव

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 7 दिसम्बर 2005

संकल्प

संख्या 14(1)/2005-टीडब्ल्यू । इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार भारत में एकीकृत इस्पात संयंत्रों के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए निर्णायकों का एक पैनल गठित करती है!

पैनल में निम्नलिखित सदस्य होंगे;

1.	डॉ. मनो रंजन सचिव, भारत सरकार इस्पात मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 दूरभाष (011) 23063489 फैक्स (011) 23063236	अध्यक्ष
2.	श्री आर. वासुदेवन पूर्व सचिव (इस्पात) ई-262, ग्रेटर कैलाश पार्ट-I, नई दिल्ली-110048 दूरभाष: 011-26451929, 23637105	सदस्य
3.	प्रो. वाई. एस. रंजन, पूर्व कुलपति, पंजाब टैक्नीकल यूनिवर्सिटी, प्लॉट नं. 249 एफ, सैक्टर-18, फेस-IX, उद्योग विहार, गुडगांव-122001	सदस्य
4.	डॉ. प्रीतम सिंह, निदेशक, प्रबंधन विकास संस्थान, सुखराली, महरौली रोड़, गुडगांव-122001 दूरभाष: (95124)2340165/5013063	सदस्य

5.	श्री पी.डी.एफ. लाम, कार्यकारी निदेशक एवं अध्यक्ष, गोदरेज एंड बोयस म्नुफक्चर्ड कं. लि., फिरोजशाह नगर, विखरौली (पश्चिम), मुंबई-400079, दूरभाष: (022) 55965005 फैक्स सं. (022) 55961516	सदस्य
6.	डॉ. ई.आर.सी. शेखर, पूर्व प्रबंध निदेशक, भिलाई इस्पात संयंत्र, 2010, 100 फीट रोड़, एच.ए.एल.-2 स्टेज, बंगलौर-560008	सदस्य
7.	डा. के.सी. अग्रवाल, पूर्व प्रबंध निदेशक, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, पी-III, सैक्टर-14, नोएड़ा, उत्तर प्रदेश दूरभाष: 95120-2510969	सदस्य
8.	श्री वाई. पी. शर्मा, पूर्व प्रबंध निदेशक, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ई-121, सरीता विहार, नई दिल्ली, दूरभाष: 011-26945604	सदस्य
9.	डॉ. एस. बनर्जी, पूर्व निदेशक, आरडीसीआईएस, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एच-I, रीवीरेशा, 287/3, बानर रोड़ , बानर, पुणे-411045 , दूरभाष: 020-27290731 फैक्स सं. 020-2729096	सदस्य
10.	श्री कारूपियाह भारती, नेशनल कन्वयेर (लेबर सैल),	सदस्य

	लोक जन शक्ति पार्टी, 3–बी, ब्लॉक–29, पी एंड टी क्वार्टर्स, टाईप–II, काली बाड़ी मार्ग, नई दिल्ली दूरभाष: 23340029 (निवास) 9868334907 (मोबाइल)	
11.	श्री अजय कुमार, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली–110011 दूरभाष: (011) 23061896 (कार्यालय), 24675500 (आवास) फैक्स (011) 23063236 (कार्यालय)	सदस्य–सचिव

2.0 निर्णायकों के पैनल के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:-

2.1 विशुद्ध लौह इकाई के रूप में प्रचालन शुरू करने वाले भारत के समस्त ऐसे एकीकृत इस्पात संयंत्रों जिनकी एक ही स्थान पर अपरिष्कृत इस्पात उत्पादन की वार्षिक क्षमता न्यूनतम 10 लाख टन हो और जिन्होंने अपने वाणिज्यिक उत्पादन का कम से कम दो वर्ष का समय पूरा कर लिया हो, के वर्ष 2004-05 के निष्पादन का मूल्यांकन करना । ये संयंत्र या तो इस्पात तैयार करने में कोक ओवन धमन भट्टी-ढलाई तथा बेलन और परिसज्जित मिल अथवा इस्पात तैयार करने में प्रत्यक्ष अपचयित लोहा (डी आर आई)/तप्त ब्रिक्वेटिंग लोहा (एच बी आई) - विद्युत चाप भट्टी (ई ए एफ)- ढलाई तथा बेलन और परिसज्जित मिल अथवा कोरेक्स भट्टी - बेसिक आक्सीजन फर्नेश (बी ओ एफ) तथा रोलिंग मिल और फिनिशिंग मिल प्रक्रिया के जरिए प्रचालित किए जा सकते हों। यह मूल्यांकन इस संकल्प के साथ लगी पूर्व-निर्धारित योजना (सितंबर, 2005 तक यथासंशोधित) की शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

2.1.1 तथापि, निर्णायकों का पैनल इस योजना के संबंध में विभिन्न इस्पात संयंत्रों से अथवा पूर्व की के निर्णायकों के पैनल द्वारा समय-समय पर दिए सुझावों जिन्हें वह उपयुक्त समझे, को भी ध्यान में रख सकता है ।

2.2 निर्णायकों का पैनल वर्ष 2004-05 के दौरान सर्वोत्तम निष्पादन के लिए प्रधानमंत्री ट्रॉफी और उसके साथ एक करोड रुपए के नकद पुरस्कार प्रदान करने हेतु एक इस्पात संयंत्र का का चयन एवं सिफारिश करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाए और सर्वसाधारण की सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाए।

अजय कुमार
संयुक्त सचिव

एकीकृत इस्पात संयंत्रों के निष्पादन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री ट्रॉफी प्रदान करने के लिए योजना (सितंबर, 2005 तक यथासंशोधित)

1.0 शुरूआत

पूर्व प्रधानमंत्री, श्री पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा 01 अगस्त, 1992 को राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करते समय की गई घोषणा के फलस्वरूप सरकार ने सर्वोत्तम निष्पादन करने की प्रतियोगिता की भावना जागृत करने के लिए तथा देश में एकीकृत इस्पात संयंत्रों के निष्पादन में सुधार करने के लिए प्रत्येक वर्ष 'प्रधान मंत्री ट्रॉफी' तथा उसके साथ एक करोड रूपए के नकद पुरस्कार और प्रशस्ति-पत्र प्रदान करने का निर्णय लिया।

2.0 उद्देश्य

एकीकृत इस्पात संयंत्रों के लिए पुरस्कार शुरू करने का उद्देश्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्र, जिसका पूंजी के राष्ट्रीय संसाधनों और कुशल जनशक्ति से गहरा संबंध है, में उत्कृष्ट निष्पादन को मान्यता देना है । पुरस्कार देने का उद्देश्य प्रमुख उत्पादकों को उनके अपने प्रचालन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्षमता, गुणवत्ता तथा किफायत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है ।

3.0 पात्रता

विशुद्ध लौह इकाई के रूप में प्रचालन शुरू करने वाले भारत के समस्त ऐसे एकीकृत इस्पात संयंत्रों जिनकी एक ही स्थान पर अपरिष्कृत इस्पात उत्पादन की वार्षिक क्षमता न्यूनतम 10 लाख टन हो और जिन्होंने अपने वाणिज्यिक उत्पादन का कम से कम दो वर्ष का समय पूरा कर लिया हो, इस योजना में भाग लेने के पात्र हैं। ये संयंत्र या तो इस्पात तैयार करने में कोक ओवन-धमन (बीएफ) इस्पात निर्माण और फिनिशिंग मिल अथवा भट्टी-ढलाई तथा प्रत्यक्ष अपचयित लोहा (डी आर आई)/तप्त ब्रिक्वेटिड लोहा (एच बी आई) - विद्युत चाप भट्टी (ई ए एफ)- इस्पात निर्माण तथा फिनिशिंग मिल अथवा कोरेक्स भट्टी - बेसिक आक्सीजन फर्नेश (बी ओ एफ) अथवा इस्पात निर्माण और फिनिशिंग मिल प्रक्रिया के जरिए प्रचालित हो सकते हैं।

4.0 योजना

4.1 योजना का ब्यौरा तथा एकीकृत इस्पात संयंत्रों के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए मापदंड प्रारंभ में इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित की गई एक विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किया गया था। इस मापदंड तथा बेंचमार्किंग का प्रधान मंत्री ट्राफी के निर्णायकों के पैनल द्वारा विभिन्न वर्षों में और समय-समय पर गठित अन्य विशेषज्ञ समितियों द्वारा और अधिक विस्तार किया गया। एकीकृत इस्पात संयंत्रों के निष्पादन के मूल्यांकन के मापदण्ड में अब विद्यमान कार्य परिवेश को ध्यान में रखा जाएगा ।

4.2 विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों तथा भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के अनुसार, एकीकृत इस्पात संयंत्रों के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए 10 प्रमुख प्राचल तैयार किए गए हैं। ये नीचे दिए गए हैं:-

- विक्रेय इस्पात क्षमता उपयोगिता
- प्रचालन की कार्यकुशलता
- वित्तीय निष्पादन
- निर्यात निष्पादन
- उत्पादों की गुणवत्ता
- ग्राहक तुष्टिकरण
- पर्यावरण प्रबंधन
- समर्थ प्राचल
- निर्णायकों के पैनल द्वारा की गई संयंत्रों के दौरों के आधार पर निष्पादन रिपोर्ट

4.3 दोनों पुरस्कारों के लिए मूल्यांकन निर्णायकों के पैनल, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, द्वारा किया जाएगा;

• सचिव, भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय	अध्यक्ष
• लोहा तथा इस्पात उद्योग के विशेषज्ञ	सदस्य
• ग्राहकों के प्रतिनिधि	सदस्य
• प्रबंधन विशेषज्ञ	सदस्य
• अर्थशास्त्री	सदस्य
• संयुक्त सचिव, भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय	सदस्य-सचिव

4.3.1 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अभियांत्रिकी इकाइयों, भारतीय प्रबंधन संस्थान के पूर्व अध्यक्षों, अर्थशास्त्रियों आदि में से निर्णायकों के पैनल में और अधिक सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए।

4.4 ग्राहक तुष्टिकरण सर्वेक्षण तथा समर्थ प्राचलों का मूल्यांकन स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसियों तथा प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्त्ताओं द्वारा किया जाएगा।

4.5 ग्राहक तुष्टिकरण सर्वेक्षण निर्णायकों के पैनल के दौरों के समय किया जाएगा तथा संयंत्र का दौरा किए जाने से पूर्व निर्णायकों के पैनल को सार्थक प्राचलों का मूल्यांकन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

4.6 सार्थक प्राचलों का अध्ययन करने वाली एजेंसी प्रत्येक मापदण्ड के संबंध में एक मूल्यांकन कमेंटी और सार्थक प्राचलों के लिए अंक (25 में से) देने हेतु निर्णायकों के पैनल को

व्यावसायिक सहायता प्रदान करेगी ।

4.7 निर्णायकों के पैनल को सचिवालयी सेवाएं तथा सामान्य सहायता स्टील अथॉरिटी आफॅ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के प्रचालन निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी । इस योजना के तहत भाग लेने वाले इस्पात संयंत्रों के प्रतिनिधि भी सचिवालय को सहयोग प्रदान करेंगे। मूल्यांकन की प्रक्रिया में सचिवालय द्वारा किए गए खर्चों को भाग लेने वाले इस्पात संयंत्रों द्वारा अपने निर्धारित अपरिष्कृत इस्पात उत्पादन क्षमता के अनुपात में बांटना होगा । निर्णायकों के पैनल द्वारा संयंत्रों के दौरों पर किए गए समूचे खर्चे को संबंधित संयंत्रों द्वारा वहन किया जाएगा । तथापि, निर्णयकों के पैनल द्वारा दिल्ली दौरे के दौरान किए गए खर्च को सचिवालय द्वारा वहन किया जाएगा ।

4.8 सचिवालय के कार्य का समन्वय सदस्य-सचिव के माध्यम से निर्णायकों के पैनल के माध्यम से किया जाएगा । यह इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करेगा तथा भाग लेने वाले संयंत्रों से जानकारी एकत्रित करने के लिए एक प्रपत्र तैयार करेगा। सचिवालय, सदस्य-सचिव के परामर्श से निर्णायकों के पैनल को प्रस्तुत की जाने वाली सम्पूर्ण आधारभूत जानकारी को निर्धारित प्रपत्र में तैयार करेगा तथा उसका सारांश देगा । यह निर्णायकों के पैनल को सामान्य सहायता भी उपलब्ध करागा तथा संबंधित संयंत्र के साथ समन्वय करके पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित करेगा ।

4.9 जब तक भारत सरकार अन्यथा कोई निर्णय न ले, पुरस्कार वितरण समारोह स्थल वर्ष विशेष के लिए पुरस्कार जीतने वाला संयंत्र स्थल होगा ।

4.10 पुरस्कार वार्षिक है, लेकिन 60% की न्यूनतम सीमा की सिफारिश की गई है । यदि कोई भी संयंत्र किसी वर्ष विशेष में न्यूनतम सीमा से अधिक अंक प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उस वर्ष यह पुरस्कार नहीं दिया जाएगा ।

मूल्यांकन के लिए प्राचल	**महत्व (%)**
5.1 क्षमता उपयोगिता	5

विक्रेय इस्पात क्षमता उपयोगिता

संयंत्र विशेष के निष्पादन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से विक्रेय इस्पात की निर्धारित क्षमता को अपनाया जाएगा। क्षमता विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर), जहां डी पी आर परामर्शदाताओं द्वारा बनाई गई है, के अनुसार क्षमता ली जाएगी। डी पी आर नहीं प्राप्त होने की स्थिति में परियोजना के वित्तीय मूल्यांकन के समय अथवा परियोजना के बंद होने के समय परिकल्पित उत्पादन स्तर और कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित उत्पादन स्तर की क्षमता को अपनाया जाए। जहां क्षमता में वृद्धि के लिए सुविधाएं प्रगामी रूप से चालू की जा रही हैं और वर्ष के दौरान पूर्ण डी पी आर क्षमता उपलब्ध नहीं है तो वर्ष के दौरान उपलब्ध क्षमता की गणना सगर्भता अवधि को अंक दिए बगैर की जाएगी तथा गणना के आधार को अलग से दर्शाया जाएगा। पूंजीगत न की गई परिसंपत्तियों से उत्पादन लाभ को अलग रखा जाएगा, वित्तीय जानकारी के साथ संगतता

बनाई रखी जाएगी। यदि कतिपय सुविधाओं को स्थायी आधार पर अलग कर दिया गया है, तो उसे डी पी आर क्षमता में से निकाल दिया जाएगा और उसका ब्यौरा दिया जाएगा।

यदि अर्धपरिसज्जित उत्पाद डीपीआर/बोर्ड के अनुमोदन में उल्लिखित ब्यौरे से अधिक होगा तो उसे समुचित रूप से समायोजित किया जाएगा।

5.2 प्रचालन की कार्यकुशलता

(i) धमन भट्टी में कार्बन दर अथवा कोरेक्स भट्टी (तप्त धातु कि.ग्रा/टी), डी आर आई अथवा एच बी आई भट्टियों की हीट इनपुट (जी कैल/टी) 2

(क) धमन भट्टी में कार्बन की दर निम्नानुसार आंकी जाएगी :-

धमन भट्टी कोयले के औसत निर्धारित कार्बन प्रभाजन को धमन भट्टी में वास्तविक स्किप कोक चार्जेड के साथ गुणा करके कार्बन दर प्राप्त की जाती है। निर्धारित कार्बन को शुष्क आधार पर कोयले में 100S राखांश के रूप में परिभाषित किया गया है।

आक्जलरी ईंधन जैसे कोल डस्ट, कोल टार आदि के लिए कार्बन दर की गणना निम्नानुसार की जाए:-

समतुल्य कोक दर उ आक्जलरी ईंधन/टी तप्त धातु ० रिप्लेसमेंट अनुपात,

कार्बन दर (आक्जलरी ईंधन) उ समतुल्य कोक दर ० धमन भट्टी कोयले की औसत निर्धारित कार्बन।

कार्बन दर के लिए बेंचमार्क; 450 कि.ग्रा./टन

(ख) कोरेक्स भट्टी में कार्बन दर निम्नलिखित रूप से आंकी जा सकती है:-

कोरेक्स भट्टी में कार्बन दर उ कोरेक्स भट्टी में कुल कोयला दर ० नान-कोकिंग कोल में औसत निर्धारित कार्बन प्रभाजन । नान-कोकिंग कोल में औसत निर्धारित कार्बन को 'शुष्क आधार पर नान-कोकिंग कोल में 100S राखांश' के रूप में परिभाषित किया जाता है। अतः समतुल्य कोयला दर उ रिडक्शन शाफ्ट में कोक खपत तप्त धातु का प्रति टन ० रिप्लेसमेंट अनुपात । कार्बन दर के लिए बेंचमार्क : 575 कि.ग्रा./टन

(ग) एच बी आई/डी आर आई-ई ए एफ संयंत्रों के लिए ईंधन दर के लिए बेंचमार्क : 2.5 जी .कैल/टन

(ii) धमन भट्टी, कोरेक्स भट्टी
एच बी आई अथवा डी आर आई भट्टी उत्पादकता 2
(टी/एम $^{3/दिन)}$)

(क) बी एफ, एच बी आई अथवा डी आर आई भट्टी उत्पादकता का मूल्यांकन प्रति दिन उपलब्ध भट्टी के कार्यचालन मात्रा की प्रति घन मीटर तप्त धातु, एच बी आई अथवा डी आर आई उत्पादन के रूप में की जाती है । धमन भट्टी के लिए कार्यचालन मात्रा को खुली स्थिति में सामान्य स्टाक लाइन/बिग बैल तथा टॉयर के मध्य लाइन के बीच निहित भट्टी की मात्रा के रूप मे परिभाषित किया जाता है । उपलब्ध दिनों की गणना कैलेण्डर दिनों का अंतर तथा पूंजीगत मरम्मत की अवधि के रूप में परिभाषित की जाती है । तथापि, सामान्य मरम्मत समय को पूंजीगत मरम्मत समय में न जोड़ा जाए।

धमन भट्टी उत्पादकता के लिए बेंचमार्क : 2.39 टी/एम ^{3}/उपलब्ध दिवस

एच बी आई/डी आर आई भट्टी उप्पादकता के लिए बेंचमार्क : 9 टी/एम ^{3}/उपलब्ध दिवस

(ख) कोरेक्स भट्टी उत्पादकता

कोरेक्स भट्टी उत्पादकता का मूल्यांकन वार्षिक औसत आधार पर प्रति घंटे उत्पादित तप्त धातु के टन के रूप में किया जाता है । अर्थात् कोरेक्स भट्टी उत्पादकता वार्षिक उत्पादन (टन में) - वार्षिक प्रचालन घंटे। वार्षिक प्रचालन घंटों का अनुमान कैलेण्डर घंटों तथा पूंजीगत मरम्मत की अवधि के अंतर कोरेक्स-बीओएफ इकाइयों के वास्तविक रूप से बंद दिन प्रति वर्ष 12 दिन से अधिक न हो, के रूप में लगाया जाता है। तथापि, सामान्य अनुरक्षण के समय को पूंजीगत मरम्मत समय में न जोड़ाजाए ।

कोरेक्स भट्टी उत्पादकता के लिए बेंचमार्क : 100 टी/एम ^{3}/उपलब्ध दिवस

(iii) समग्र विशिष्ट ऊर्जा खपत 4

समग्र विशिष्ट ऊर्जा खपत (अपरिष्कृत इस्पात का जी कैल/टी) की गणना आई आई एस आई पद्धति के आधार पर की जानी चाहिए ।

तीन विभिन्न रूटों के आधार पर इस्पात संयंत्रों के लिए मूल्यांकन का पैमाना अर्थात् एच बी आई अथवा डी आर आई तथा ई ए एफ रूट, कोरेक्स - बी ओ एफ रूट; बी एफ - बी ओ एफ रूट एक दूसरे से अलग होंगे।

विशिष्ट ऊर्जा खपत के लिए बैंचमार्क निम्नलिखित के लिए प्रति टन अपरिष्कृत इस्पात होगी;

क) बी एफ-बी ओ एफ रूट और कोरेक्स रूट आधारित संयंत्र : 5.92 जी . कैल/टी सी एस; तथा

ख) एच बी आई/डी आर आई-ई ए एफ आधारित संयंत्र : 5.0 जी . कैल/टी सी एस।

(iv) श्रम उत्पादकता

2

श्रम उत्पादकता की गणना प्रति व्यक्ति वर्ष अपरिष्कृत इस्पात उत्पादन के रूप में की जाए । बिक्री के लिए उत्पादित कच्चा लोहा, एच बी आई अथवा डी आर आई को 50% के समतुल्य घटक के साथ महत्ता दी जाए तथा श्रमशक्ति की गणना कार्य बल के आधार पर की जाएगी।

कार्य श्रमशक्ति की गणना कारखाना इतर विभागों जैसे प्रशासन, विपणन, वित्त, टाऊनशिप, निर्माण इकाइयों, खानों आदि को छोड़ने के पश्चात की जाए लेकिन उत्पादन सेवाएं जैसे रूपांकन, इंजीनियरिंग शाप्स आदि को शामिल किया जाए। इसके अतिरिक्त, अनुरक्षण विभाग, निजी इंजीनियरिंगशाला, रिफ्रैक्ट्रीज संयंत्र आदि जैसे इस्पात संयंत्रों की केन्द्रीयकृत इकाइयों की श्रमशक्ति, जो उत्पादन कार्य में प्रत्यक्ष रूप से सन्निहित नहीं होती, को श्रम उत्पादकता से अलग रखा जाए।

तीन विभिन्न रूटों के आधार पर इस्पात संयंत्रों के लिए मूल्यांकन का पैमाना अर्थात् एच बी आई अथवा डी आर आई तथा ई ए एफ रूट, कोरेक्स - बी ओ एफ रूट; बी एफ - बी ओ एफ रूट एक दूसरे से अलग होंगे।

यदि किसी इस्पात संयंत्र में सामान्य प्रचालन तथा मरम्मत कार्य बाह्य ठेकेदारों से कराया गया है तो निर्णायकों का पैनल ऐसे श्रम मूल्यांकन के लिए आदान सूचना प्राप्त कर उसे संयंत्र द्वारा सूचित की गई नियमित श्रमशक्ति में जोडेगा ।

5.3 वित्तीय निष्पादन

आंकडों का अंकेक्षण कराया जाए तथा उनका सत्यापन और जो प्रकाशित लेखाओं के साथ संगत हो का, उस पेशागत सनदी लेखाकार से कराया जाए जो कंपनी का कर्मचारी न हो।

(i) सकल मार्जिन/कुल बिक्री अनुपात 5

सकल मार्जिन को ब्याज तथा मूल्यह्रास पूर्व लाभ के रूप में परिभाषित किया जाता है । लोहा और इस्पात उत्पादों की कुल बिक्री को दर्शाया जाए जिसमें लोहा तथा इस्पात उत्पादों के निर्माण की प्रक्रिया से उत्पन्न उपोत्पाद भी शामिल हों । तथापि, उत्पादों की बिक्री जैसे सी ए एन, फैरो एलायज, कच्चा माल।, बियरिंगस, एग्रिको उत्पाद आदि को शामिल नहीं किया जाएगा । इसमें संयंत्र द्वारा निर्मित न किए गए उत्पादों की बिक्री से हुई बिक्री आय को भी अलग रखा जाए ।

सकल मार्जिन केवल उपर्युक्त उल्लिखित लोहा तथा इस्पात उत्पादों के रूप में ही संबंधित है। निवेशों पर ब्याज/लाभांश से आय पर विचार न किया जाए । कंपनी के भीतर अंतर संयंत्र अंतरण तथा आंतरिक खपत पर भी विचार न किया जाए। न लाभ/न हानि की नीति पर विचार न किया जाए ।

तथापि लोहा तथा इस्पात के सामान्य निर्माताओं से कच्चा माल तथा अन्य उद्भूतों को शामिल किया जाएगा ।

(ii) सकल मार्जिन/ लगाई गई औसत पूंजी 2

सकल मार्जिन वही है जैसा उपर्युक्त मद (क्ष) में उल्लिखित है, लगाई गई औसत पूंजी में केवल निवल स्थायी परिसंपत्तियों को ही शामिल किया जाए ।

(iii) कारोबार/मालसूची अनुपात 2

कारोबार वही है जैसा उपर्युक्त मद (क्ष) में उल्लिखित है । मालसूची में औसत परिसज्जित तथा अर्ध-परिसज्जित भंडार को भी शामिल किया जाए और अन्य सामग्रियों की मालसूची जैसे कच्चा माल, भंडार तथा कलपुर्जों आदि को भी शामिल किया जाए। इसमें विविध देनदारों की राशि को भी शामिल किया जाए ।

(iv) परिवर्तनशील लागत में % परिवर्तन 2

गत वर्ष के संबंध में अपरिष्कृत इस्पात के उत्पादन की परिवर्तनशील लागत में % परिवर्तन के रूप में मूल्यांकित किया जाए ।

5.4 ग्रास ब्लॉक की तुलना में पूंजीकृत व्यय

(i) निर्यात टनेज अनुपात 2

विक्रेय इस्पात तथा कच्चा लोहा/एच बी आई/डी आर आई के कुल उत्पादन से लोहा तथा इस्पात सामग्री की निर्यातित मात्रा के अनुपात के रूप में गणना की जाए । केवल संयंत्र द्वारा निर्मित तथा वास्तविक रूप से देश से बाहर भेजी गई लोहा तथा इस्पात उत्पादों की मात्रा, जो प्रकाशित लेखाओं के अनुरूप हो, को निर्यात में शामिल किया जाए । कच्चा लोहा/एच बी आई/डी आर आई को 50% के समतुल्य स्थानापन्न घटक दिया जाए ।

(ii) निर्यात मूल्य अनुपात 3

निर्यात मूल्य अनुपात को अर्जित की गई विदेशी मुद्रा तथा कारोबार के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाए । प्राप्त विदेशी मुद्रा को एफ.ओ.बी. आधार पर दिया जाए तथा निर्यात को उपर्युक्त मद (i) में उल्लिखितानुसार निर्धारित किया जाए। कारोबार वित्तीय निष्पादन के तहत परिभाषित है।

5.5 उत्पादों की गुणवत्ता

(i) परीक्षित इस्पात (%) 1

विशिष्ट मापदंडों के अनुरूप परीक्षित विक्रेय इस्पात उत्पादन की प्रतिशतता के रूप में मूल्यांकन किया जाए । सूचित किए जा रहे परीक्षित उत्पादन के संबंध में संयत्र विशिष्टियों की एक विस्तृत सूची देंगे, जिसके अनुरूप निर्णायकों का पैनल अपना अन्तिम निर्णय लेगा ।

(ii) विशेष ग्रेडों का उत्पादन

2

विशिष्ट श्रेणी में विक्रेय इस्पात उत्पादन प्रतिशतता के रूप में मूल्यांकित किया जाए । विशेष श्रेणी के तहत केवल निम्नलिखित इस्पात श्रेणियों पर विचार किया जाएगा :

(क) 0.04% से कम और 0.4% से अधिक कार्बनयुक्त इस्पात श्रेणियां

(ख) वी ए डी, वी ओ डी, आर एच अथवा आर एच ओ बी जैसी गौण परिशोधन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके उत्पादित किया गया इस्पात :

(ग) न्यून एच, ओ, एन और एस आई युक्त इस्पात श्रेणियां

(घ) इस्पात को अधिक सु और विसर्पणरोधी अथवा जंगरोधी बनाने के लिए सी आर, एम ओ, एन आई जैसे वर्धित मिश्र ।

(ङ) कठोर प्रावस्था (बेनाइट/मार्टेनसाइट) युक्त प्रावस्था रूपान्तरित श्रेणियां

(च) अंतरालीमुक्त इस्पात

(छ) 0.4 एम एम से कम मोटाई का थिनर गेज कोल्ड रोल्ड इस्पात

(ज) समान श्रेणी के उत्पाद की तुलना में 20% से अधिक से मूल्य वाली इस्पात की कोई अन्य श्रेणी ।

(iii) नए विकसित उत्पाद 2

विक्रेय इस्पात उत्पादन की प्रतिशतता के रूप में नए उत्पादनों के टनेज के रूप में मूल्यांकन किया जाएगा। संयंत्र में पहली बार उत्पादित उत्पादों का नए उत्पादों के रूप में विचार किया जाए । नए उत्पादों के संबंध में विकासात्मक प्रयासों तथा विशिष्ट विशेषताओं का वर्णन करने वाली टिप्पणी भी हो । इस पर निर्णायकों का पैनल अपना अन्तिम निर्णय लेगा ।

5.6 ग्राहक सन्तुष्टिकरण

(i) बाजार तथा ग्राहक संतुष्टिकरण के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया 5

बाजार तथा ग्राहक संतुष्टिकरण के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया का मूल्यांकन निर्णायकों के पैनल द्वारा निम्नलिखित प्रश्नोत्तरों के आधार पर किया जाए:-

- संयंत्र ग्राहक समूह तथा बाजार खंड का निर्धारण कैसे करता है?
- संयंत्र ग्राहक समूह अथवा बाजार खंड की आवश्यकताओं का निर्धारण कैसे करता है?
- विद्यमान/संभाव्य ग्राहकों से सूचना तथा ग्राहक आवश्यकता निर्धारण में शिकायतों का प्रयोग कैसे किया जाता है?
- संयंत्र ग्राहक आवश्यकताओं को नए उत्पाद तथा/अथवा सेवाओं के रूप में, कैसे पूरा करता है?
- विभिन्न ग्राहक समूहों से सुनने तथा अपनाने में अपनी प्रक्रिया का कैसे मूल्यांकन अथवा सुधार करता है?
- संयंत्र ग्राहकों द्वारा अपेक्षित सहायता तथा मौखिक शिकायतें कैसे सुलभ करता है?

- संयंत्र ग्राहकों से तत्काल तथा कार्रवाई योग्य फीड बैक कैसे प्राप्त करता है?
- संयंत्र ग्राहकों के साथ संबंध तथा सकारात्मक वफादारी दृष्टिकोण कैसे बनाता है?

(ii) **ग्राहक संतुष्टिकरण** 10

एक स्वतंत्र बाजार अनुसंधान ऐजेंसी द्वारा विभिन्न संयंत्रों के ग्राहकों का सर्वेक्षण कराया जाएगा जिसमें निम्नलिखित घटक शामिल होंगे जैसे मूल्य, समयबद्ध सुपुर्दगी, तकनीकी विशेषताएं, सामग्री की उपलब्धता, वाणिज्यिक शर्तें, स्टॉकयार्ड सुविधाएं, बिलिंग तथा लेखा प्रक्रिया, कार्मिकों का व्यवहार, ग्राहक शिकायतों पर सुनवाई, बिक्री पश्चात सेवा, पूर्व-बिक्री संविदा, पैकेजिंग आदि। निर्णायकों के पैनल के साथ विचार-विमर्श में इन घटकों की महत्ता निर्धारित की जाए।

5.7 पर्यावरण प्रबंधन

(i) वायु प्रदूषण

निलंबित धूल कणों पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानदण्डों को पूरा करने में चिमनियों की प्रतिशतता के रूप में मूल्यांकन किया जाएगा।

(ii) जल प्रदूषण 1

अपरिष्कृत इस्पात के प्रति टन विशिष्ट प्रदूषण दबाव के रूप में मूल्यांकित किया जाए।

(iii) ठोस अपशिष्ट उपयोगिता 1

ठोस अपशिष्ट उपयोगिता/पुन: उपयोग/बिक्री की प्रतिशतता के रूप में मूल्यांकित किया जाए।

(iv) जल खपत 1

कारखाने में अपरिष्कृत इस्पात के प्रति टन उपयोग किए गए जल की खपत।

5.8 समर्थ प्राचल

(i)	नेतृत्व	4
(ii)	नीति तथा रणनीति	4
(iii)	संसाधन प्रबंधन	4
(iv)	जनसाधारण प्रबंधन	4
(v)	प्रक्रिया प्रबंधन	9

इसका मूल्यांकन प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्त्ताओं की एक टीम द्वारा किया जाए। मूल्यांकन के लिए व्यापक दिशा-निर्देश और उनके संबंध में अनुपूरक सूचना अनुलग्नक-। और अनुलग्नक-।। में दिए गए हैं।

5.9 संयंत्रों का दौरा

निर्णायकों के पैनल की अभ्युक्तियां 20

निर्णायकों का पैनल विशिष्ट प्राचलों तथा ऐसे अन्य प्राचलों जिसे वह आवश्यक समझे, का मूल्यांकन करने के लिए न्यूनतम दो दिनों की अवधि के लिए प्रत्येक संयंत्र का दौरा करेगा ।

विभिन्न कारकों जैसे हाउस कीपिंग, पर्यावरण प्रबंधन एवं वृक्षारोपण, परिसरीय तथा अनुषंगी विकास, घातक दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण एवं प्रयास, औद्योगिक संबंध, उपस्करों की स्थिति, सुझाव योजनाओं तथा क्वालिटी सर्कलों जैसे लघु ग्रुप क्रियाकलापों के जरिए प्रबंधन में कामगारों एवं पर्यवेक्षकों की भागीदारी, अनुसंधान एवं विकास प्रयास, प्रबंधन नेतृत्व और प्रेरणा तथा इस्पात संयंत्र के प्रचालन के बारे में उनके अपने विचारों के संबंध में संयंत्र दौरों के समय उनकी अभ्युक्तियों के आधार पर ।

6.0 मूल्यांकन का पैमाना

मूल्यांकन 1 से 5 पैमाने के अनुसार लाईनर पद्धति से किया जाएगा:-

(i) न्यूनतम से नीचे और न्यूनतम तक प्राचल मूल्य के लिए (सबसे खराब मूल्य) = 1
(ii) सबसे खराब मूल्य और सर्वोत्तम मूल्य के बीच प्राचल मूल्य के लिए = सीधी लाईन का उपयोग करते हुए 1 से 5 के बीच
(iii) "सर्वोत्तम मूल्य" से ऊपर के मूल्यों के प्राचलों के लिए = पहले दशमलव तक 5 को राउंडिड ऑफ

उद्देश्यों के मूल्यांकन के लिए प्रत्येक प्राचल के लिए "सर्वोत्तम मूल्य" और "सबसे खराब मूल्य" अनुलग्नक-III में दिए गए हैं ।

7.0 पुरस्कार राशि का उपयोग

7.1 पुरस्कार जीतने वाले संयंत्र का संयंत्र प्रबंधन इस राशि का उपयोग संबंधित संयंत्र की आवश्यकताओं के अनुसार निम्नलिखित क्षेत्रों में श्रमशक्ति के जीवन स्तर के उत्थान के लिए खर्च करेगा:-

क) अस्पताल सुविधाओं सहित कर्मचारियों की व्यावसायिक दक्षता में सुधार।

ख) एक छोटा हिस्सा (अर्थात् 10% तक) कर्मचारियों के लिए कल्याण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए श्रेष्ठ विभाग को आबंटित किया जा सकता है ।

ग) धन का पर्याप्त हिस्सा सावधि जमा में रखा जा सकता है तथा इससे प्राप्त लाभ को कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा तथा प्रशिक्षण में बढ़ावा देने के लिए विशिष्टता एवं साधन छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

घ) टाऊनशिप में सामुदायिक केन्द्रों का उन्नयन ।

ङ) टाऊनशिप में खेल तथा सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए सुविधाएं बढ़ाना।

च) कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं के कारण विकलांग हुए कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए वित्तीय मदद।

छ) कर्मचारियों के आश्रितों के लिए शैक्षिक/प्रायोगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना/उनका विस्तार/परिवर्धन/संशोधन करना।

ज) महिलाओं/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अथवा कर्मचारियों के अन्य कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक/प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

झ) संयंत्र की परिधि में रहने वाले लोगों के लिए शैक्षिक/प्रशिक्षण केन्द्रों/चिकित्सा तथा स्वच्छता कार्यक्रम तथा जल आपूर्ति कार्यक्रमों आदि के लिए सहायता।

7.2 निधि की देख-रेख एक संयुक्त समिति द्वारा की जाएगी जिसमें इस्पात संयंत्र के प्रबंधन, मान्यता प्राप्त यूनियनों तथा अधिकारियों की एसोशिएसनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

7.3 इस्पात संयंत्र की निधि की लेखा परीक्षा के तहत उपर्युक्त निधि की लेखापरीक्षा भी शामिल है।

8.0 अनुसूची

मूल्यांकन तथा पुरस्कार प्रक्रिया के लिए समय-सीमा

कार्यकलाप	**समय-सीमा**
• मूल्यांकनकर्त्ताओं की नियुक्ति तथा सार्थक प्राचलों का मूल्यांकन	अप्रैल-अगस्त
• निर्णायकों के पैनल की नियुक्ति	अगस्त
• ट्रॉफी के लिए आवेदन आमंत्रित करना	अगस्त
• निर्णायकों के पैनल द्वारा संयंत्र का दौरा	अक्तूबर-दिसंबर
• निर्णायकों के पनल की अंतिम रिपोर्ट	28 फरवरी

अनुलग्नक-I

प्राचलों के मूल्यांकन के लिए संस्तुत दिशा-निर्देश

मानक 1 नेतृत्व

परिभाषा

नेता किस प्रकार मिशन के लक्ष्य को विकसित और उसकी प्राप्ति को सुगम बनाते हैं, दीर्घकालिक सफलता के लिए अपेक्षित मूल्य किस प्रकार विकसित करते हैं और उपयुक्त कार्रवाई और कार्य-व्यवहार द्वारा इन्हें कार्यान्वित करते हैं और व्यक्तिगत तौर पर यह सुनिश्चित करने में सन्निहित होते हैं कि प्रबंधन प्रणाली विकसित और कार्यान्वित की जाए।

उप मानक

नेतृत्व में निम्नलिखित चार उप मानक शामिल हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए:-

1 . नेता मिशन, विजन और मूल्यों को विकसित करते हैं और वे उत्कृष्टता की संस्कृति के रोल मॉडल होते हैं।

इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- संगठन के मिशन और लक्ष्य को विकसित करना;
- रोल मॉडलिंग के आचार-शास्त्र और मूल्यों, जो संगठन की संस्कृति के निर्माण में सहायक होते हैं, को विकसित करना।
- अपने नेतृत्व की प्रभावशीलता की समीक्षा करना और उसमें सुधार करना तथा नेतृत्व संबंधी भावी आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करना;
- कार्यकलापों में सुधार के कार्य में व्यक्तिगत और सक्रिय रूप से शामिल होना;
- संगठन की संरचना में परिवर्तन करके, सीखकर और कार्यकलापों में सुधार करके संगठन के सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना;
- सीखने से संबंधित कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना, उनका समर्थन करना और उनके परिणामों के अनुरूप कार्य करना;
- सुधार संबंधी कार्यकलापों की प्राथमिकता तय करना;
- संगठन के भीतर सहयोग को प्रोत्साहित करना

1 I. नेता यह सुनिश्चित करने में व्यक्तिगत रूप से शामिल होते हैं कि संगठन की प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाए, उसे कार्यान्वित किया जाए और उसमें निरंतर सुधार हो।

इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- अपनी नीति और रणनीति के समर्थन हेतु संगठन के ढांचे को व्यवस्थित करना;
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन प्रक्रियाओं के लिए एक प्रणाली तैयार की जाए और उसे कार्यान्वित किया जाए;
- नीति के विकास, तैनाती से लागू करने और इसे अद्यतन करने के लिए प्रक्रिया सुनिश्चित करना और यह सुनिश्चित करना कि रणनीति विकसित की जाए और इसे कार्यान्वित किया जाए;
- यह सुनिश्चित करना कि महत्वपूर्ण परिणामों के प्रमापन, समीक्षा और इनमें सुधार हेतु एक प्रक्रिया तैयार की जाए और इसे कार्यान्वित किया जाए;
- यह सुनिश्चित करना कि सृजनात्मक नवीनता और सीखने संबंधी कार्यकलापों के जरिए सुधारों को प्रोत्साहित करने, अभिज्ञात करने, उनका नियोजन करने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए एक प्रक्रिया तैयार की जाए और उसे कार्यान्वित किया जाए।

1 ग. नेता ग्राहकों, भागीदारों और समाज के प्रतिनिधियों से जुडे हैं।

इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- आवश्यकताओं और आशाओं को पूरा करना, उन्हें समझना और उन पर ध्यान देना;
- भागीदारी स्थापित करना और उसमें भागीदारी करना;
- संयुक्त सुधार कार्यकलाप शुरू करना और उनमें हिस्सा लेना ;
- व्यक्ति विशेष को और शेयरधारकों के दलों को कारोबार में उनके योगदान और उनकी निष्ठा आदि के लिए सम्मानित करना;
- उत्कृष्टता को बढ़ावा देने वाले और समर्थन करने वाले व्यावसायिक निकायों, संगोष्ठियों और सेमिनारों में हिस्सा लेना;
- ऐसे कार्यकलापों में सहयोग देना और करना जिनका उद्देश्य पर्यावरण और समाज में संगठन के योगदान में सुधार हो।

1घ. नेता संगठन के व्यक्तियों को अभिप्रेरित करते हैं, उनको सहयोग देते हैं और उनका सम्मान करते हैं।

इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- संगठन के मिशन, लक्ष्य, मूल्यों, नीति और रणनीति, योजनाओं, उद्देश्यों और लक्ष्यों के बारे में लोगों को व्यक्तिगत रूप से बताना;
- लोगों को सुलभ होना और उनकी बातें ध्यान से सुनना और उन पर ध्यान देना;

- लोगों की उनकी योजनाओं को पूरा करने, उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करना;
- लोगों को सुधार संबंधी कार्यकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना;
- संगठन में सभी स्तरों पर दल के रूप में और व्यक्तिगत रूप से किए गए प्रयासों के लिए व्यक्तियों और दलों को सही समय पर उपयुक्तत: सम्मानित करना।

मानक 2 नीति और रणनीति

परिभाषा

संगठन किस प्रकार संगत नीतियों, योजनाओं, उद्देश्यों, लक्ष्यों और प्रक्रियाओं तथा शेयरधारकों पर केंद्रित रणनीति के जरिए अपने मिशन और लक्ष्यों को कार्यान्वित करता है।

उप मानक

नीति और रणनीति में निम्नलिखित उप मानक शामिल होते हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

2क. नीति और रणनीति शेयरधारकों की मौजूदा और भावी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं पर आधारित होती है।

इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- बाजार और बाजार खंड को निर्धारित करने के लिए सूचना एकत्र करना और समझना जिसमें संगठन भविष्य में प्रचालन करेगा;
- ग्राहकों, कर्मचारियों, भागीदारों, समाज और शेयरधारकों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को समझना और उनका अनुमान लगाना;
- प्रतिस्पर्धी कार्यकलापों सहित बाजार स्थान के विकास को समझना और अनुमान लगाना

2ख. नीति और रणनीति निष्पादन प्रमापन, अनुसंधान संबंधी जानकारी और सृजनात्मक कार्यकलापों से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित होती है।

इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- आंतरिक निष्पादन संकेतकों से प्राप्त परिणामों को एकत्रित करना और समझना
- सीखने संबंधी कार्यकलापों से प्राप्त परिणामों को एकत्रित करना और समझना
- प्रतिस्पर्धियों तथा सर्वोत्तम संगठन के कार्यनिष्पादन का आंकन करना
- सामाजिक, पर्यावरणात्मक और विधि संबंधी मुद्दों को समझना
- आर्थिक और जनसांख्यिकी संकेतकों को अभिज्ञात करना और समझना
- नई प्रौद्योगिकियों के प्रभाव को समझना
- शेयरधारकों के विचारों का विश्लेषण करना और उनका उपयोग करना

2ग. नीति और रणनीति का विकास, उनकी समीक्षा, और उन्हें अद्यतन करना

इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- शेयरधारकों की आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं और सीखने तथा नवीनता लाने संबंधी कार्यकलापों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संगठन के मिशन, लक्ष्य और मूल्यों के अनुरूप नीति और रणनीति तैयार करना;
- शेयरधारकों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के बीच संतुलन स्थापित करना;
- अल्प और दीर्घकालिक दबाव और आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करना;
- जोखिमों के निराकरण के लिए वैकल्पिक परिदृश्य और आकस्मिक योजनाएं तैयार करना;
- मौजूदा और भावी प्रतिस्पर्धात्मक लाभों को अभिज्ञात करना;
- संगठन की नीति और रणनीति को भागीदारों की नीति और रणनीति के साथ संयोजित करना;
- नीति और रणनीति में उत्कृष्टता की बुनियादी अवधारणाएं दर्शाना;
- नीति और रणनीति की संगतता और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना;
- महत्वपूर्ण सफलता घटकों को अभिज्ञात करना;
- नीति और रणनीति की समीक्षा करना और अद्यतन करना;

2घ. नीति रणनीति को मुख्य प्रक्रियाओं के जरिए लागू करना।

इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- संगठन की नीति और रणनीति के लिए आवश्यक मुख्य प्रक्रियाओं को अभिज्ञात करना और उनका रूपांकन करना;
- मुख्य प्रक्रियाओं के संबंध में स्पष्ट स्वामित्व तय करना;
- शेयरधारकों को अभिज्ञात करने सहित प्रमुख प्रक्रियाओं को निर्धारित करना;
- नीति और रणनीति के लिए प्रमुख प्रक्रियाओं के प्रभाव की समीक्षा करना;

2ङ नीति और रणनीति को संप्रेषित और कार्यान्वित करना।

इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- नीति और रणनीति का संप्रेषण एवं सोपान, जो समुचित हो;
- पूरे संगठन के कार्यकलापों की आयोजना करने, उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करने के लिए नीति और रणनीति का उपयोग इनको आधार के रूप में उपयोग करना;
- योजनाओं, उद्देश्यों और लक्ष्यों को व्यवस्थित करना, उनकी प्राथमिकताएं तय करना और उन्हें संप्रेषित करना;
- नीति और रणनीति के प्रति जागरूकता का मूल्यांकन करना!

मानक 3 जनसामान्य

परिभाषा

संगठन किस प्रकार व्यक्ति विशेष, दल और संगठन स्तर पर अपने कर्मचारियों की जानकारी और उनकी पूरी क्षमता का प्रबंधन करता है, उसे विकसित करता है और प्रसार करता है और अपनी नीति और रणनीति के समर्थन और अपनी प्रक्रियाओं के प्रभावी प्रचालन के लिए इन कार्यकलापों की योजना बनाता है।

उप मानक

लोगों में निम्नलिखित पाँच उप मानक शामिल हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए:-

3क. जन संसाधनों की आयोजना की जाती है, उनका प्रबंधन किया जाता है और उनमें सुधार किया जाता है।

इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- मानव संसाधन नीतियां, रणनीतियां और योजनाएं तैयार करना;
- मानव संसाधन नीतियां, रणनीतियां और योजनाएं तैयार करने के कार्य में कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधियों को शामिल करना;
- मानव संसाधन योजनाओं को नीति तथा रणनीति, संगठनात्मक ढांचे और मुख्य प्रक्रियाओं के अनुरूप व्यवस्थित करना;
- भर्ती और कैरियर विकास का प्रबंधन करना ;
- समान अवसर सहित रोजगार के संबंध में निष्पक्षता सुनिश्चित करना;
- मानव संसाधन नीतियों, रणनीतियों और योजनाओं में सुधार करने के लिए जन-सर्वेक्षणों और कर्मचारियों से संबंधित सूचनाओं का उपयोग करना;
- कार्यस्थल की पुनर्संरचना, आधारशीला कार्यकलाप, लोचनीय सामूहित कार्य और उच्च निष्पादन कार्यदल के जरिए कार्यकरण में सुधार करने के लिए अभिनव संगठनात्मक प्रणाली विज्ञान का उपयोग करना।

3ख. कर्मचारियों की जानकारी और क्षमता अभिज्ञात और विकसित करने तथा उसे बनाए रखना

इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- कर्मचारियों की जानकारी और क्षमता को संगठन की आवश्यकताओं के अनुरूप अभिज्ञात करना और वर्गीकृत करना;
- संगठन की क्षमता संबंधी मौजूदा और भावी आवश्यकताओं के अनुरूप कर्मचारियों की सहायता के लिए प्रशिक्षण और विकास योजनाएं तैयार करना और उनका उपयोग करना;

- व्यक्तियों, दलों और संगठनात्मक जानकारी संबंधी अवसरों को रूपांकित करना और उन्हें बढावा देना;
- कार्य अनुभव के जरिए कर्मचारियों का विकास;
- दलगत दक्षता विकसित करना;
- व्यक्तियों और दल के उद्देश्यों को संगठन के लक्ष्यों के अनुरूप व्यवस्थित करना;
- व्यक्तियों और दल के उद्देश्यों की समीक्षा करना और उन्हें अद्यतन करना;
- कर्मचारियों के निष्पादन का मूल्यांकन करना और सुधार करना।

3ग. कर्मचारियों को शामिल करना और उन्हें अधिकार देना।

इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- व्यक्तियों और दलों को सुधार संबंधी कार्यकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी सहायता करना;
- आंतरिक संगोष्ठियों और समारोहों के जरिए कर्मचारियों को शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी सहायता करना;
- ऐसे अवसर उपलब्ध करवाना जिनसे कर्मचारी शामिल होने को प्रोत्साहित हों और नवीनता और सृजनात्मक कार्य हेतु सहायता करना;
- कर्मचारियों को कार्रवाई करने के लिए अधिकार प्रदान करना;
- कर्मचारियों को एक साथ दल के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना।

3घ. कर्मचारियों और संगठन में परस्पर संवाद है।

इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- संप्रेषण संबंधी आवश्यकताएं अभिज्ञात करना;
- संप्रेषण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर संप्रेषण नीतियाँ तैयार करना;
- टॉप डाउन, बॉटम अप और हॉरीजोंटल संप्रेषण चैनल विकसित करना और इनका उपयोग करना;
- सर्वश्रेष्ठ पद्धति और जानकारी का आदान प्रदान।

3ङ कर्मचारियों को पुरस्कृत करना, उनका सम्मान करना और उनका ध्यान रखना।

इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- पारिश्रमिक, पुनर्तैनाती, अनावश्यकता और रोजगार की अन्य शर्तों को नीति और रणनीति के अनुरूप तय करना;
- कर्मचारियों को जुडे रहने और अधिकार संपन्न बनाने के लिए सम्मानित करना;
- सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण जैसे मुद्दों के प्रति जागरूकता और इनमें शामिल होने को बढावा देना;

- पेंशन योजना, स्वास्थ्य रक्षा, बाल सुरक्षा जैसे लाभों के स्तर निर्धारित करना;
- सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढावा देना;
- लोचनीय समय अवर, परिवहन जैसी सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध करना।

मानक 4 भागीदारियां और संसाधन

परिभाषा

संगठन अपनी नीति और रणनीति का समर्थन करने और अपनी प्रक्रियाओं के प्रभावी प्रचालन के लिए किस प्रकार बाह्य भागीदारियों और आंतरिक संसाधनों की आयोजना करता है और प्रबंधन करता है।

उप मानक

भागीदारियों और संसाधनों में निम्नलिखित पाँच उप मानक शामिल हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

4क. बाह्य भागीदारियों का प्रबंधन किया जाता है।

इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- नीति और रणनीति के अनुरूप मुख्य भागीदारों और नीतिपरक भागीदारी के अवसरों को अभिज्ञात करना;
- मूल्य सृजित करने और उन्हें बढ़ाने के लिए भागीदारी संबंध की संरचना करना;
- मूल्यवर्धन आपूर्ति श्रृंखला वाली भागीदारियां करना ;
- सांस्कृतिक अनुरूपता सुनिश्चित करना और भागीदार संगठनों के साथ जानकारी का आदान-प्रदान करना;
- पारस्परिक विकास हेतु सहायता करना;
- भागीदारों का उपयोग करके अभिनव और सृजनात्मक सोच विकसित करना और उसका समर्थन करना;
- प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए कार्यकरण में सहक्रिया विकसित करना और ग्राहक/आपूर्तिकर्त्ता श्रृंखला को सुदृढ़ बनाना।

4ख. वित्त का प्रबंधन करना

इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- नीति और रणनीति के समर्थन में वित्तीय संसाधनों का उपयोग करना;
- वित्तीय रणनीतियों और प्रक्रियाओं को विकसित करना और उन्हें कार्यान्वित करना;
- मूर्त और अमूर्त दोनों परिसंपत्तियों में निवेश का मूल्यांकन करना;

- एक दक्ष, प्रभावी और साधनसंपन्न संरचना सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय तंत्र और प्राचलों का उपयोग करना;
- वित्तीय संसाधनों में निहित जोखिमों का निराकरण करना।

4ग. भवनों, उपस्करों और सामग्री का प्रबंधन करना

इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- नीति और रणनीति के समर्थन में परिसंपत्तियों का उपयोग करना;
- परिसंपत्ति के कुल जीवनकाल के निष्पादन में सुधार करने के लिए परिसंपत्तियों का प्रबंधन, अनुरक्षण और उपयोग करना;
- परिसंपत्तियों की सुरक्षा का प्रबंधन करना;
- परिसंपत्तियों के समुदाय और कर्मचारियों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव (स्वास्थ्य और सुरक्षा सहित) का आकलन करना;
- सामग्री मालसूची को इष्टतम बनाना;
- उपभोज्यों की खपत को इष्टतम करना;
- पुन: प्राप्त न होने वाले संसाधनों का संरक्षण करना;
- उत्पादों और सेवाओं के प्रतिकूल वैश्विक प्रभाव को कम करना।

4घ. प्रौद्योगिकी का प्रबंधन करना

इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- नीति और रणनीति की दृष्टि से वैकल्पिक और नई तकनीकों को अभिज्ञात करना और कारोबार और समाज पर इनके प्रभाव का मूल्यांकन करना;
- तकनीकी पक्ष का प्रबंधन;
- वर्तमान तकनीक का उपयोग;
- प्रौद्योगिकी का नवीकरण;
- सुधार हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग;
- "पुरानी" प्रौद्योगिकी को अभिज्ञात करके उन्हें बदलना।

4ङ सूचना और जानकारी का प्रबंधन करना ।

इसमें निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है :

- नीति और रणनीति के समर्थन में सूचना और जानकारी एकत्रित करना, ढांचागत करना और उनका प्रबंधन करना;
- आन्तरिक और बाह्य, दोनों प्रयोगकर्त्ताओं के लिए उपयुक्त सूचना और जानकारी उपलब्ध कराना ।

- सूचना की मान्यताओं, उनकी एकरूपता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना और उसमें सुधार करना ।
- उपभोक्ता मूल्य को उच्चतम सीमा तक बढ़ाने के लिए अद्वितीय बौद्धिक संपत्ति का सृजन, विकास और उसकी सुरक्षा ।
- जानकारी को प्रभावी रूप से प्राप्त करना, उनका संवर्धन तथा उपयोग ।
- उचित सूचना और जानकारी के साधनों का प्रयोग करके संगठन में नवीनतम और रचनात्मक विचारधारा का सृजन करना ।

मानदण्ड: 5 प्रक्रिया

परिभाषा

अपनी नीतियों और रणनीतियों के समर्थन में संगठन किस प्रकार अपनी प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है, उनका प्रबंधन करता है और उनमें सुधार करता है तथा किस प्रकार अपने उपभोक्ताओं और अन्य शेयरधारकों की संतुष्टि के लिए बढ़ते हुए मूल्य का सृजन करता है ।

उप-मानदण्ड:

प्रक्रिया में निम्नलिखित पांच उप मानदंड सम्मिलित हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए:

5 (क) सुव्यवस्थित रूप से प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करना और उनका प्रबंधन

इसमें निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है:

- संगठन की प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करना । इनमें वे प्रमुख प्रक्रियाएं शामिल हैं जो नीति और रणनीति के लिए आवश्यक हैं ।
- प्रयोग हेतु प्रक्रिया प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना ।
- प्रक्रिया प्रबंधन में गुणवत्ता प्रणालियों जैसे कि आई एस ओ 9000, पर्यावरणीय प्रणालियाँ, कामगारों का स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रणालियों के लिए प्रणाली मानक लागू करना ।
- प्रक्रिया उपायों का कार्यान्वयन करना और निष्पादन लक्ष्य निर्धारित करना ।
- शुरू से अन्त तक की प्रक्रियाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संगठन के अन्दर और बाह्य पार्टनरों के साथ आपसी मामलों को हल करना ।

5(ख) उपभोक्ता और अन्य शेयरधारकों की सृजन पूर्ण संतुष्टि के लिए आवश्यकतानुसार अपेक्षित परिवर्तन अपनाकर प्रकियाओं में सुधार करना ।

इसमें निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है:

- सुधार और अन्य परिवर्तन, वृद्धिपरक और परिणामदायक, दोनों अवसरों को अभिज्ञात करना ओर उनकी प्राथमिकताएं निर्धारित करना ।

- सुधार और संशोधित प्रचालन विधि की प्राथमिकता निर्धारित करने और उनके लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सीखने वाली गतिविधियों से प्राप्त सूचना तथा निष्पादन और परिणामों का उपयोग करना ।
- वृद्धिपरक और परिणामदायक सुधारों में कर्मचारियों, उपभोक्ताओं और साझेदारों की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहन देना ।
- नई प्रक्रिया रूपरेखा, प्रचालनात्मक दर्शन और सुदृढ तकनीकों की खोज करना और उनका प्रयोग करना ।
- कार्यान्वयन परिवर्तनों के लिए उपयुक्त पद्धतियां स्थापित करना ।
- नई या परिवर्तित प्रक्रियाओं का क्रियान्वयन करना और उसका नियंत्रण
- इन प्रक्रिया परिवर्तनों को सभी उचित शेयरधारकों तक पहुंचाना ।
- यह सुनिश्चित करना कि क्रियान्वयन के लिए प्राथमिकता प्राप्त नई और परिवर्तित प्रक्रियाओं के प्रचालन के लिए लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ।
- यह सुनिश्चित करना कि प्रक्रिया परिवर्तनों से अनुमानित परिणाम प्राप्त होंगें ।

5(ग) उपभोक्ताओं की जरूरतों और आशाओं के अनुरूप उत्पाद और सेवाएं तैयार करना

इनमें निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है :

- विद्यमान तथा भावी उत्पादों और सेवाओं हेतु उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और आशाओं को निर्धारित करने के लिए बाजार अनुसंधान, उपभोक्ता सर्वेक्षण और अन्य प्रकार के परिणामों का उपयोग करना और विद्यमान उत्पादों एवं सेवाओं के बारे में उनकी जानकारी ।
- उपभोक्ता की भावी आवश्यकताओं तथा आशाओं के अनुरूप उत्पाद और सेवाएं प्रोत्साहित करने के लिए सुधार कार्य अभिज्ञात करना ।
- उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और आशाओं की पूर्ति के लिए नए उत्पादों और सेवाओं का सृजन करना और उन्हें विकसित करना ।
- प्रतिस्पर्धी उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने के लिए रचनात्मकता और अभिनव परिवर्तनों का उपयोग करना ।
- साझेदारों के साथ मिलकर नए उत्पादों का सृजन ।

5(घ) उत्पाद और सेवाएं तैयार करना और उनका संप्रेषण एवं सुलभ कराना।

इनमें निम्नलिखित को शामिल है :

- डिजाइन ओर विकास के अनुरूप उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराना
- मौजूदा और संभावित उपभोक्ताओं को उत्पाद और संप्रेषित सेवाओं का संप्रेषण और विपणन तथा उनकी बिक्री
- उपभोक्ताओं को उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराना ।
- जहां कहीं उचित हो, उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध करना ।

5 (ङ) उपभोक्ता संबंधों का प्रबंधन तथा उनको प्रोत्साहित करना

इनमें निम्नलिखित को शामिल है:

- उपभोक्ताओं की दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताएं निर्धारित करना तथा उन्हें पूरा करना
- शिकायतों सहित दिन-प्रतिदिन के संविदा से प्रापत परिणामों की संभाल करना
- उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और आशाओं पर विचार-विमर्श करने के उद्देश्य से उनके साथ सक्रिय सहयोग करना ।
- उत्पाद, सेवाएं और अन्य उपभोक्ता विक्रय तथा सेवा प्रक्रियाओं की संतुष्टि के स्तर तय करने के उद्देश्य से बिक्री, सेवा तथा अन्य के बारे में अनुवर्ती कार्रवाई
- उपभोक्ता विक्रय और वितरण संबंधों में रचनात्मकता और नवीनता बनाए रखना ।

उपभोक्ताओं के संबंधों की संतुष्टि के स्तर को निर्धारित करने और उसे बढ़ाने के लिए नियमित सर्वेक्षण, ढांचागत आंकड़े एकत्रित करने के अन्य उपायों और उपभोक्ता के दिन-प्रतिदिन संबंधों के एकत्रित आंकडों का उपयोग करना ।

****

अनुलग्नक-।।

अनुलग्नक-।। में सार्थक प्राचलों के मूल्यांकन के लिए दिशा-निर्देशों का अनुपूरक

(क) आंकड़े एकत्र करना

आंकड़े एक प्रश्नावली के जरिए एकत्र किए जाएंगे । प्रत्येक प्रश्न अनुलग्नक-।। के अन्तर्गत सार्थक प्राचलों के तहत उल्लिखित उप मानदण्ड में से चयनित क्षेत्र से संबंधित होगा । उत्तर देने वाले संगठन को प्रश्न के उत्तर के साथ आवश्यक सहायक सामग्री देना अपेक्षित है। उत्तर में मात्रात्मक अथवा गुणवत्तात्मक अथवा दोनों क़िस्म के आंकड़े शामिल होने चाहिए ।

दिए जाने वाले आंकड़े प्रत्येक सार्थक प्राचल/उप प्राचल की प्रक्रिया अथवा उत्पादन पहलू से संबंधित होने चाहिए ।

(ख) मूल्यांकन

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन प्रक्रिया परिपक्वता मॉडल के आधार पर किया जाएगा । मूल्यांकन के बाद ग्रेड की रैंकिंग पद्धति का पालन किया जाएगा जिसमें दो चरणों - कोर्स और अन्तिम में अंक दिए जाएंगे ।

(ग) स्पष्टीकरण

नीचे उल्लिखित मानदण्ड, उप मानदण्ड और समाधान के क्षेत्र संस्तुत दिशा-निर्देशों के अनुलग्नक-।। से उद्धृत किए गए हैं ।

उदाहरण-I

मानदण्ड - नेतृत्व

उप - मानदण्ड - नेता उद्देश्य, दृष्टिकोण और मूल्य विकसित करते हैं, तथा एक उत्कृष्ट संस्कृति का महत्वपूर्ण मॉडल होते हैं ।

समाधान के क्षेत्र - विकास करना और संगठन का उद्देश्य तथा दृष्टिकोण

प्रश्न

(क) कृपया उपक्रम का दृष्टिकोण बताएं?

(ख) आपने यह दृष्टिकोण कैसे प्राप्त किया ?

(ग) उपरोक्त दृष्टिकोण की संगतता बनाए रखने को आप कैसे सुनिश्चित करते हैं?

उदाहरण-II

मानदण्ड- नेतृत्व

उप-मानदण्ड - नेता ग्राहकों, भागीदारों और समाज के प्रतिनिधियों से जुडे होते हैं ।

समाधान के क्षेत्र : परिवेश में सुधार करने और सोसायटी के लिए संगठन के योगदान करने के उद्देश्य से कार्यकलापों का समर्थन तथा कार्य करना ।

प्रश्न

(क) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए आपके संगठन की क्या नीति है?

(ख) विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए संस्थागत ढांचा क्या है?

(ग) विशेष रूप से अभिज्ञात मनदण्डों के लिए किए गए कार्यकलापों का क्या स्वरूप है?

उदाहरण-III

मानदण्ड - साझेदारी और संसाधन

उप-मानदण्ड- भवन, उपकरण और लगाई गई सामग्री ।

समाधान के क्षेत्र -

कुल परिसम्पत्ति जीवनकाल चक्र निष्पादन में सुधार करने के लिए परिसम्पत्तियों का प्रबंधन, अनुरक्षण और उपयोग ।

उप-क्षेत्र - सुविधा अनुरक्षण आयोजन और नियंत्रण

प्रश्न

(क) अपनी अनुरक्षण नीति का उल्लेख करें ।

(ख) अनुरक्षण आयोजना और नियंत्रण की प्रक्रिया का उल्लेख करें ।

(ग) अनुरक्षण कार्य पद्धतियों के सुधार के लिए प्रक्रिया का उल्लेख करें ।

(घ) समय

प्रश्नावली तैयार की जा रही है । अन्तिम प्रश्नावली प्रत्येक प्रत्युत्तर देने वाले संगठन को अक्तूबर, 2005 के मध्य तक भेज दी जाएगी ।

अनुलग्नक-III

वस्तुनिष्ठ प्राचलों हेतु लाइनर पद्धति द्वारा 5 प्वाइन्ट पैमाने में अंक देने के लिए सर्वोत्तम और सबसे खराब मूल्य

क्र.सं.	प्राचल	मापन की इकाई	सर्वोत्तम मूल्य	सबसे खराब मूल्य
1	क्षमता उपयोगिता	%	120.0%	90%
2	धमन भट्टी में कार्बन की दर	किग्रा/टीएचएम	450	500
2.1	ईंधन की खपत एचबीआई/डीआरआई इकाइयों में	जी कैल/टी	2.5	3.0
2.2	कोरैक्स इकाइयों में कोयला दर	किग्रा/टीएचएम	575	675
3	धमन भट्टी उत्पादकता	किग्रा/एम3/दिन	2.39	1.0
3.1	एचबीआई इकाइयों की उत्पादकता	टी/दिन/एम3	9.0	8.0
3.2	कोरैक्स भट्टियों की उत्पादकता	टी/घंटा	100	90
4.	ऊर्जा खपत (बीएफ/कोरैक्स +बीओएफ संयंत्र)	जीकैल/टीसीएस	5.91	9.0
4.1	ऊर्जा खपत (एचबीआई + ईएएफ संयंत्र)	जीकैल/टीसीएस	5.0	6
5.	श्रम उत्पादकता (बीएफ+बीओएफ संयंत्र)	टी/व्यक्ति/वर्ष	280	100
5.1	श्रम उत्पादकता (एचबीआई + ईएएफ संयंत्र और कोरैक्स +बीओएफ संयंत्र)	टी/व्यक्ति/वर्ष	1800	800
5.2	श्रम उत्पादकता (कोरैक्स+बीओएफ संयंत्र)	टी/व्यक्ति/वर्ष	480	250
7	सकल मार्जिन/कारोबार अनुपात	अनुपात	30.0%	10.0%
8	सकल मार्जिन/लगाई गई पूंजी	अनुपात	90.0%	20.0%
9.	कारोबार/इनवेंटरी अनुपात	अनुपात	12	5
11	निर्यात टनेज अनुपात	अनुपात	40.0%	5.0%
12	निर्यात मूल्य अनुपात	अनुपात	40.0%	5.0%
13	विशिष्टता के लिए जांच किए गए इस्पात की गुणवत्ता	%	100.0%	85.0%
14	विशेष इस्पात उत्पादन	%	70.0%	20.0%
15	विकसित किए गए नए उत्पाद	संख्या	20	2
17	वायु प्रदूषण		100%	95%
18	जल प्रदूषण	किग्रा/टीसीएस	0.1	1.99
19	ऑस अपशिष्ट की उपयोगिता	%	90.0%	30.0%
20	विशिष्ट जल खपत	एम3/टीसीएस	2	8

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 दिसम्बर 2005

सं. 8-217/2004-पी.पी.I (भाग)--भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के दिनांक 26.11.1993 के अधिसूचना सं. 8-97/91-पी.पी.I तथा दिनांक 20.7.2004 के फा. सं. 8-217/2004-पी.पी.I (भाग) का आंशिक संशोधन करते हुए एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार की निम्नलिखित संस्थाएं तथा अधिकारी निरीक्षण, धूमन अथवा विसंक्रमण करने तथा अन्य देशों को निर्यात के लिए अभीष्ट ऐसे पौधों और पौध सामग्रियों जिन्हें ऐसे प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है, के संबंध में पादपस्वच्छता प्रमाण-पत्र देने के लिए प्राधिकृत हैं। तदनुसार उक्त अधिसूचना में संगत शीर्षों के अधीन निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :--

1. केन्द्रीय सरकार

(xxv) प्रभारी अधिकारी
पादप संगरोध केन्द्र
कांडला, गुजरात
[कोड सं. 'सी' (पी पी क्यू एण्ड एस)1(27)]

(xxvi) प्रभारी अधिकारी
पादप संगरोध केन्द्र
मंगलौर, कर्नाटक
[कोड सं. 'सी' (पी पी क्यू एण्ड एस)1(28)]

(xxvii) प्रभारी अधिकारी
पादप संगरोध केन्द्र
त्रिची, तमिलनाडु
[कोड सं. 'सी' (पी पी क्यू एण्ड एस)1(29)]

(xxviii) प्रभारी अधिकारी
पादप संगरोध केन्द्र
गुवाहटी, असम
[कोड सं. 'सी' (पी पी क्यू एण्ड एस)1(30)]

(xxix) प्रभारी अधिकारी
पादप संगरोध केन्द्र
बंगलौर, कर्नाटक
[कोड सं. 'सी' (पी पी क्यू एण्ड एस)1(31)]

2. राज्य/संघ शासित प्रदेश
राजस्थान

(iii) संयुक्त निदेशक, कृषि
कृषि निदेशालय, राजस्थान सरकार,
जोधपुर (विस्तार), राजस्थान
[कोड सं. 'एस' (आर ए जे 3)]

(iv) संयुक्त निदेशक, कृषि
कृषि निदेशालय, राजस्थान सरकार,
कोटा (विस्तार), राजस्थान
[कोड सं. 'एस' (आर ए जे 4)]

(v) संयुक्त निदेशक, कृषि
कृषि निदेशालय, राजस्थान सरकार,
श्री गंगानगर (विस्तार), राजस्थान
[कोड सं. 'एस' (आर ए जे 5)]

(vi) संयुक्त निदेशक, कृषि
कृषि निदेशालय, राजस्थान सरकार,
जयपुर (विस्तार), राजस्थान
[कोड सं. 'एस' (आर ए जे 6)]

(vii) संयुक्त निदेशक, कृषि
कृषि निदेशालय, राजस्थान सरकार,
उदयपुर (विस्तार), राजस्थान
[कोड सं. 'एस' (आर ए जे 7)]

(viii) संयुक्त निदेशक, बागवानी
कृषि निदेशालय, राजस्थान सरकार,
जयपुर (मुख्यालय), राजस्थान
[कोड सं. 'एस' (आर ए जे 8)]

इसके अलावा यह भी उल्लेख किया जाता है कि दिनांक 26.11.1993 के अधिसूचना सं. 8-97/91-पी.पी. I में विद्यमान प्रविष्टियों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए :

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

(iv) पादप संरक्षण अधिकारी (मुख्यालय)
अंडमान और निकोबार संघ शासित प्रदेश का प्रशासन
पोर्टब्लेयर,
[कोड सं. 'यू टी' (ए एण्ड एन 4)]
हरियाणा

(ii) उप निदेशक, कृषि (पादप संरक्षण)
हरियाणा, चण्डीगढ़
[कोड सं. 'एस' (एच 2)]

आशीष बहुगुणा
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 नवम्बर 2005

सं. एफ. 20-5/2004-टी.एस.-III.--

इंजीनियरी कालेज, रायपुर को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्ताव पर केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के अनुमोदन के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उपर्युक्त संस्थान का संपूर्ण प्रशासनिक तथा वित्तीय नियंत्रण अपने अधीन लेती है। यह अधिसूचना 1.12.2005 से लागू होगी। इसके पश्चात् इंजीनियरी कालेज, रायपुर को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर के रूप में जाना जाएगा।

2. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर को शैक्षणिक सत्र 2006-2007 से शैक्षणिक तथा प्रशासनिक उद्देश्य हेतु अन्य राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ सम्मिलित किया जाएगा। तथापि, संस्थान को चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2005-2006 से अन्य राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों पर लागू होने वाली अनुमोदित सहायता प्रणाली के अनुसार योजनागत तथा योजनेत्तर के अंतर्गत सहायता अनुदान दिया जाएगा।

3. 30.11.05 तक उपयुक्त संस्थान के सभी उत्तरदायित्व छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, 1.12.05 तक संस्थान के सभी कर्मचारियों की सेवा शर्तों को अभिशासित करने वाली विस्तृत नियम एवं शर्तें अलग से अधिसूचित की जाएंगी । इसके साथ-साथ संस्थान 1.12.05 तक उपलब्ध संपत्तियों तथा उत्तरदायित्वों का विस्तृत रजिस्टर तैयार करेगा। इसके अतिरिक्त संस्थान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग) द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों अनुसार अभिशासित होगा। किसी भी प्रकार के निर्देश न मिलने पर यह उस सामान्य आदेश अनुसार कार्य करेगा जो इसी प्रकार की अन्य केन्द्र प्रयोजित संस्थाओं पर लागू होता है।

रवि माथुर
संयुक्त सचिव

(प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 2005

विषयः सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय मिशन की कार्यकारिणी समिति को शक्तियों तथा उत्तरदायित्वों का प्रत्यायोजन

सं. 2-2/2005-ई.ई.-3.--

सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय मिशन की शासी परिषद् को अपने नियम व कार्यविधियां बनाने के लिए भारत सरकार अधिसूचना सं.एफ. 2-4/2000-डेस्क(ई.ई.) दिनांक 2.1.2001 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में, शासी परिषद् ने 21 फरवरी, 2005 को आयोजित अपनी पहली बैठक में सर्व शिक्षा अभियान के राष्ट्रीय मिशन के विभिन्न निकायों को निम्नलिखित शक्तियों व उत्तरदायित्वों के प्रत्यायोजन का संकल्प कियाः-

शासी परिषद की शक्तियां व उत्तरदायित्व

अधिसूचना एफ. 2-4/2000-ई.ई.-3 दिनांक 3.12.2004 के अनुसार, यह परिषद् भारत में प्रारंभिक शिक्षा हेतु शीर्षस्थ नीति निर्धारक निकाय होगी। संसद द्वारा अनुमोदित बजट प्रावधान के अन्तर्गत परिषद को उनके उपयोग की पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है। विशेष रूप से शासी परिषद निम्नलिखित कार्य करेगीः-

(i) विभिन्न राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान की कार्यान्वयन संबंधी प्रगति की समीक्षा;

(ii) बेहतर कार्यान्वयन के लिए उद्देश्यों के संबंध में संपूर्ण नीति संबंधी मार्गदर्शन तथा दिशानिर्देश देना;

(iii) सर्व शिक्षा अभियान की योजना तथा कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं तथा स्वैच्छिक संगठनों की सार्थक सहभागिता पर चर्चा करना तथा उसे निर्धारित करना;

(iv) राष्ट्रीय/क्षेत्रीय महत्व संबंधी विशिष्ट मुद्दों पर विशेष रिपोर्टें मांगना;

(v) बाल शिक्षा पर प्रभाव डालने वाली अन्य विभागों/मंत्रालयों के कार्यक्रमों तथा योजनाओं के बीच संकेंद्रण हेतु सुझाव;

(vi) सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन में केंद्र राज्य सहभागिता को सुदृढ़ करने में सहायता;

(vii) प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने के मिशन में निर्वाचित राजनैतिक नेतृत्व, स्वैच्छिक एजेंसियों तथा निजी क्षेत्र की सहभागिता को सुदृढ़ करने में सहायता;

(viii) कार्यकारिणी समिति को मार्गदर्शन व दिशानिर्देश प्रदान करना।

कार्यकारिणी समिति की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व

(i) देश में सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन की प्रगति की नियमित समीक्षा करना;

(ii) सर्व शिक्षा अभियान की योजना के अनुमोदित मानदण्डों के भीतर सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रमों के वित्तीय मानदंडों सहित अन्य मानदण्डों में यथाआवश्यक संशोधनों का अनुमोदन करना;

(iii) सर्व शिक्षा अभियान की योजना तथा कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं तथा स्वैच्छिक संगठनों की सार्थक सहभागिता पर चर्चा करना तथा उसे निर्धारित करना।

(iv) शिक्षा विभाग के अन्य कार्यक्रमों तथा योजनाओं के साथ सर्व शिक्षा अभियान के संकेंद्रण को बढ़ाना;

(v) परियोजना अनुमोदन बोर्ड के कार्यकरण के लिए मार्गदर्शन देना; और

(vi) राष्ट्रीय स्तर के उप-मिशनों का गठन और उनके कार्यकरण का पर्यवेक्षण।

परियोजना अनुमोदन बोर्ड की शक्तियां तथा कार्य

(i) देश के जिलों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा राज्यों के लिए सर्व शिक्षा अभियान(इसमें डी.पी.ई.पी.,एन.पी.ई.जी.ई.एल. तथा के.जी.बी.वी. भी शामिल, जहां लागू हो) की वार्षिक कार्य योजना तथा बजट पर चर्चा करना तथा उनका अनुमोदन।

(ii) सर्व शिक्षा अभियान के मानदण्डों तथा कार्यान्वयन कार्यविधियों के संबंध में प्रशासनिक स्पष्टीकरण तथा अनुदेश देना;

(iii) वित्तीय मानदण्डों सहित अन्य मानदण्डों में परिवर्तन पर चर्चा करना, उन्हें निर्धारित करना तथा कार्यकारिणी समिति को सिफारिश करना;

(iv) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के शिक्षा सचिवों/राज्य परियोजना निदेशकों और/अथवा अन्य तंत्रों के साथ छमाही बैठकें करके प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन की समीक्षा।

(v) जब कभी भी अपेक्षित हो, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से कार्यान्वयन के लिए सर्व शिक्षा अभियान की संरचना में संशोधन हेतु प्रस्तावों का कार्यकारिणी समिति को सुझाव देना;

(vi) सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन तथा प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की दिशा में प्रगति को प्रभावित करने वाली शैक्षिक नीतियों तथा सुधारों संबंधी मामलों पर राज्य सरकार/राज्य कार्यान्वयन सोसायटियों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करना;

(vii) परियोजना अनुमोदन बोर्ड प्रारंभिक शिक्षा में अंतर-विभागीय समन्वयन तथा संकेंद्रण संबंधी मामलों पर भी चर्चा करेगा।

यह आदेश दिया जाता है कि सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय मिशन की शासी परिषद तथा कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों को अधिसूचना की प्रति प्रेषित की जाए।

यह आदेश दिया जाता है कि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को अधिसूचना की प्रति भेजी जाए।

यह आदेश भी दिया जाता है कि आम जानकारी के लिए अधिसूचना को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

वृन्दा सरुप
संयुक्त सचिव

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 2 दिसम्बर 2005

सं. ई आर बी-1/2004/23/29.--

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की 4.9.2004 की समसंख्यक अधिसूचना देखें जिसके अनुसार 27.2.2002 को गोधरा स्टेशन पर गाड़ी सं. 9166 साबरमती एक्सप्रेस में लगी आग की घटना की जांच करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री यू. सी. बैनर्जी की अध्यक्षता में 5.9.2004 से 3 माह की अवधि के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी और 30.11.2004, 04.03.2005, 01.6.2005 और 01.9.2005 की समसंख्यक अधिसूचनाओं के अनुसार इसका कार्यकाल क्रमश: 04.03.2005, 04.06.2005, 04.09.2005 और 04.12.2005 तक बढ़ाया गया था.

2. भारत सरकार ने उक्त उच्च स्तरीय समिति के कार्यकाल को 04.12.2005 से आगे अगले 3 माह की अवधि अर्थात 04.03.2006 तक बढ़ाने का विनिश्चय किया है.

इसे राष्ट्रपति जी के आदेश से और उनकी ओर से जारी किया जाता है.

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए.

एम. के. अग्रवाल
सचिव, रेलवे बोर्ड

सं. ई आर बी-1/2004/23/29(1).--

यत: भारत के संविधान के अनुच्छेद 73 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, रेल मंत्रालय द्वारा गोधरा स्टेशन पर 27 फरवरी 2002 को गाड़ी सं. 9166, साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने की दुर्घटना की जांच करने तथा आग के कारणों तथा इससे जुड़े सामान्य मामलों तथा इसके आनुषंगिक मामलों का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने की आवश्यकता समझी गई थी.

यत: दिनांक 4 सितम्बर 2004 की अधिसूचना सं. ई आर बी I/2004/23/29 के द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय के 20.11.1975 के पत्र सं. 105/1/1/75-सी एफ के अनुसार उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री यू. सी. बैनर्जी को शामिल करते हुए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था; और

यत: दिनांक 2 दिसम्बर 2005 की अधिसूचना सं. ई आर बी-I/2004/23/29 के द्वारा इस उच्च स्तरीय समिति के कार्यकाल को आगे 4 मार्च 2006 तक बढ़ाया गया है; और

यत: दिनांक 4 सितम्बर 2004 की उक्त अधिसूचना के अनुसरण में, इस समिति ने अपनी जांच शुरू कर दी है और इस प्रक्रिया में समिति ने कई गवाहों की जांच की और रिकार्डों का अनुशीलन किया परंतु यह जांच, पूछताछ के लिए बुलाए गए उन कुछ महत्वपूर्ण गवाहों के असहयोग तथा/या संबधित प्रलेखों को प्रस्तुत न करने के कारण पूरी नहीं हो सकी; और

यत: कुछ गवाहों को पेश करने तथा संबद्ध साक्ष्यों/दस्तावेजों को सुनिश्चित रूप से प्रस्तुत किए जाने के संबंध में इस समिति द्वारा महसूस की जा रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार, रेल मंत्रालय द्वारा यह समझा जाता है कि यह अति आवश्यक है कि जांच आयोग अधिनियम, 1952 के सभी प्रावधानों को (जिसमें धारा 5 का उपखंड (2) से (5)शामिल है) दिनांक 4 सितम्बर 2004 की अधिसूचना के अनुसार नियुक्त उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री यू. सी. बैनर्जी वाली उच्च स्तरीय समिति के लिए लागू किया जाए.

अतः, अब भारत सरकार, रेल मंत्रालय जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 11 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश दिए हैं कि उक्त अधिनियम के सभी उपबंध इस उच्च स्तरीय समिति के लिए लागू किए जाएं.

ऐसे राष्ट्रपति जी के आदेश से और उनकी ओर से जारी किया जाता है.

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए.

एम. के. अग्रवाल
सचिव, रेलवे बोर्ड

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 2nd December 2005

No. 4(2)-PU/2005.—

Shri K.Chandran Pillai, Member of Rajya Sabha has been elected to serve as member of the Committee on Public Undertakings with effect from 1st December, 2005 for the unexpired portion of the term of the Committee vice Shri Jibon Roy, retired from Rajya Sabha.

J. P. SHARMA
Director

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 5th December 2005

Resolution

No.F.4(1)/2004-Hindi. Consquent upon the change in portfolios of Ministers, the chairman of the Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of Parliamentary Affairs will be the 'Minister of Parliamentary Affairs and Information and Broadcasting' instead of the 'Minister of Parliamentary Affairs and Urban Development.' Para 1 (S.No.1) of this Ministry's Resolution of even number dated 28.3.2005 constituting the Hindi Salahakar Samiti of this Ministry stands modified accordingly.

ORDER

It is ordered that a copy of this Resolution may be forwarded to all State Governments and Union Territories Adminstrations, All Ministries and Department of the Government of India, President Sectt., Prime Minister's Office, Cabinet Sectt., Lok/Rajya Sabha Sectt., Planning Commission, Parliamentary Committee on Official Language, Comptroller and Auditor General of India and Pay and Accounts Officer, Cabinet Affairs, New Delhi.

It is also ordered that this Resolution may be published in the Gazette of India for information of the public.

P. GOPALAKRISHNAN
Jt. Secy.

MINISTRY OF STEEL

New Delhi-110011, the 7th December 2005

RESOLUTION

No.14(1)/2005-TW. Ministry of Steel, Government of India hereby constitutes a 'Panel of Judges' to evaluate the performance of the Integrated Steel Plants in India.

The Panel will consist of the following: -

1. Dr. Mano Ranjan,
Secretary to the Govt. of India,
Ministry of Steel,
Udyog Bhavan, New Delhi 110011
Tel. (011) 23063489
Fax (011) 23063236 — Chairman

2. Shri R. Vasudevan,
Former Secretary (Steel),
E-262, Greater Kailash Part I,
New Delhi-110048
Tel. No. 011-26451929, 23637105 — Member

3. Prof. Y.S. Rajan,
Former Vice-Chancellor,
Punjab Technical University,
Plot No. 249 F, Sector-18,
Phase IV, Udyog Vihar,
Gurgaon-122001 — Member

4. Dr. Pritam Singh,
Director,
Management Development Institute,
Sukhrali, Mehrauli Road,
Gurgoan 122001,
Tel. No. (95124) 2340165 / 5013063. Member

5. Shri P.D. F. Lam,
Executive Director & President,
Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd.,
Pirojshanagar, Vikhroli (West),
Mumbai 400079.
Phone : (022) 55965005
Fax No. (022) 55961516 Member

6. Dr. E.R.C. Shekhar,
Former Managing Director,
Bhilai Steel Plant,
2010, 100 Feet Road,
HAL-2 Stage,
Bangalore -560008 Member

7. Dr. K.C. Agarwal,
Former Managing Director,
Durgapur Steel Plant,
P-III, Sector –14,
NOIDA, U.P.
Tel.No. 95120-2510969 Member

8. Shri Y.P. Sharma,
Former Managing Director,
Durgapur Steel Plant,
E-121, Sarita Vihar,
New Delhi
Tel. No.011-26945604 Member

9. Dr. S. Banerjee,
Former Director,
RDCIS, Steel Authority of India Ltd.,
H-1, Riviresa,
287/3, Banar Road,
Banar,
Pune-411045
Tel.No. 020-27290731
Fax No. 020-2729096 Member

10. Shri Karuppiah Bharathi,
National Convener (Labour Cell),
Lok Jan Shakti Party,
3-B, Block 29,
P&T Quarters, Type-II,
Kali Bari Marg,
New Delhi
Tel. No. 23340029 (Res.)
9868334907(Mob.) Member

11. Shri Ajoy Kumar,
Joint Secretary to the Govt. of India,
Ministry of Steel, Udyog Bhavan
New Delhi 110011
Tel. (011) 23061896 (O), 24675500 (R)
Fax (011) 23063236 (O) Member-Secretary

3.0 The terms of reference of Panel of Judges are as follows:-

2.1 To evaluate performance during the year 2004-05 of all integrated steel plants in India starting operation from virgin iron unit in one location having minimum production capacity of 1 million tonne of crude steel per year and having completed commercial operation for at least two years. The plants may operate either through the conventional route of Coke Oven-Blast Furnace-Steel Making-Casting and Rolling & Finishing Mills or through route of Direct Reduced Iron (DRI)/Hot Briquetting Iron (HBI)-Electric Arc Furnace (EAF) Steel Making-Casting and Rolling & Finishing Mills or the route of COREX Furnace - Basic Oxygen Furnace (BOF) Steel Making - Casting and Rolling & Finishing Mills. The evaluation will

be made in terms of the predetermined Scheme (amended upto September, 2005) annexed with this Resolution.

2.1.1 However, the Panel of Judges may also take into consideration the suggestions received from different steel Plants or Panel of Judges of the previous years, from time to time with respect to the scheme as deemed fit.

2.2 The Panel of Judges will select and recommend one steel plant for award of the Prime Minister's Trophy and Cash Award of Rs. 1 crore for excellence in performance for the year 2004-05.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

AJOY KUMAR
Jt. Secy.

SCHEME FOR AWARD OF PRIME MINISTER'S TROPHY FOR EXCELLENCE IN PERFORMANCE OF INTEGRATED STEEL PLANTS (as amended upto September 2005)

1.0 GENESIS

Consequent upon the announcement made by former Prime Minister, Shri P.V. Narsimha Rao, while dedicating Visakhapatnam Steel Plant of Rashtriya Ispat Nigam Ltd. to the Nation on 1.8.1992, Government have decided to present an award known as Prime Minister's Trophy with a cash award of Rs. 1 crore and a citation each year to the best performing integrated steel plant to generate a sense of competition and to improve upon performance of the integrated steel plants in the country.

2.0 OBJECTIVES

The objectives of instituting these awards for the integrated steel plants is to give recognition to outstanding performance in the vital sector of the national economy which draws heavily on national resources of capital and skilled manpower. The awards are intended to spur these major iron & steel producers to achieve international standards of efficiency, quality and economy in their operations.

3.0 ELIGIBILITY

All integrated steel plants in India starting operation from virgin iron units in one location, having minimum production capacity of one million tonne of crude steel per year and having completed commercial operation for at least two years are eligible to participate. The plants may operate through the conventional route of Coke Oven-Blast Furnace (BF)-Steel Making and Finishing Mills or through Direct Reduction Iron (DRI)/Hot Briquetted Iron (HBI)-Electric Arc Furnace (EAF) Steel Making and Finishing Mills or through COREX Furnace-Basic Oxygen Furnace (BOF)-Steel Making and Finishing Mills.

4.0 SCHEME

4.1 The details of the scheme and the set of criteria for evaluating the performance of the integrated steel plants had initially been worked out by an Expert Committee constituted by Government of India, Ministry of Steel. The criteria and the benchmarking of the same has been further elaborated by the Panel of Judges for Prime Minister's Trophy for different years and other Expert Committee(s) constituted from time to time. The criteria for evaluation of the performance of integrated steel plants now take care of the present day business environment.

4.2 As per the recommendations of the Expert Committee and amendments carried out by the Government of India, 9 main parameters have been evolved for evaluating the performance of the integrated steel plants. These are given below:-

- Saleable steel capacity utilization
- Efficiency of operations
- Financial performance
- Export performance
- Quality of products
- Customer satisfaction
- Environment management
- Enabling parameters
- Observation of the Panel of Judges based on plant visits.

4.3 The evaluation will be carried out by a Panel of Judges comprising of the following :-

- Secretary to the Government of India, Ministry of Steel	Chairman
- Expert(s) on Iron & Steel Industry	Member
- Representative(s) of the customers	Member
- Management Expert(s)	Member
- Economist(s)	Member
- Joint Secretary to the Government of of India, Ministry of Steel	Member Secretary

4.3.1 More members of the Panel of Judges should be drawn from among former heads of Indian Institute of Technology, Engineering units, Indian Institute of Management, economists etc.

4.4 Customer satisfaction survey and assessment of enabling parameters will be done by independent expert agencies and trained assessors.

4.5 The customer satisfaction survey should be concurrent with the visits of the Panel of Judges and the assessment of the enabling parameters should be made available to the Panel of Judges before their visits to the plants.

4.6 The agency undertaking the study of enabling parameters will make an appraisal in respect of each of the criteria and will provide professional assistance to the Panel of Judges to award marks for enabling parameters (out of 25).

4.7 Operations Directorate of Steel Authority of India Ltd., New Delhi will provide the secretarial services and general assistance to the Panel of Judges. The representatives of participating Steel Plants will also assist the Secretariat. The participating steel plants in the ratio of their rated crude steel production capacity will share the cost incurred by the Secretariat towards the process of evaluation. The cost of the visits to the plants by the Panel of Judges will be borne fully be the concerned plants. The cost of visit to Delhi by the Panel of Judges will, however, be borne by the Secretariat.

4.8 The task of the Secretariat shall be coordinated with the Panel of Judges through the Member Secretary. It will give wide publicity and evolve a format for collection of information from the competing plants. The Secretariat, in consultation with the Member Secretary, will prepare and summarise the total background information in the required format for submission to the Panel of Judges. It will also provide general assistance to the Panel of Judges and organise the award distribution function(s) in coordination with the concerned plant(s).

4.9 The venue of the Award function will be the location of the plant winning the award for the particular year unless otherwise decided by the Government of India.

4.10 The award is an annual feature, but a minimum cut off limit of 60% is recommended. If no plant scores more than the minimum cut off limit in any particular year, the award may be skipped for that year.

PARAMETERS FOR EVALUATION	Weightage (%)
5.1 CAPACITY UTILIZATION	**5**
Saleable steel capacity utilization	

The rated / nameplate saleable steel capacity is to be adopted for evaluation of individual steel plants. The capacity will be taken as per Detailed Project Report (DPR) where DPR has been made by consultants. In case, the DPR has not been received, the production level envisaged at the time of financial appraisal / closure of project and approved by company's Board may be adopted as capacity. Where facilities for increase in capacity are being progressively commissioned and the full capacity is not available throughout the year, the capacity available during the year is to be calculated without allowance for gestation period and basis of calculation to be shown separately. Production from assets not capitalized to be excluded, maintaining consistency with financial information. If certain facilities have been phased out on a permanent basis, the same is to be deducted from DPR capacity and details of phasing out may be given.

Production is to be suitably adjusted for semi-finished products, if they are more than envisaged in the DPR / Board approval.

5.2	**EFFICIENCY OF OPERATIONS**	
(i)	Carbon rate in Blast Furnaces or COREX Furnaces (Kg/t of Hot Metal), Heat input (G.Cal)/t) of DRI or HBI Furnaces.	**2**

(a) Carbon rate in Blast Furnaces may be worked out as follows :-

Actual skip coke charged in the blast furnace
X average fixed carbon fraction of the BF Coke. Fixed carbon is defined as "100-% ash in coke on dry basis".

For auxiliary fuels like coal dust, coal tar etc. the carbon rate is to be worked out as follows:

Equivalent Coke rate = Auxiliary Fuel / tonne of Hot metal x Replacement ratio.

Carbon rate (Auxiliary Fuels) = Equivalent Coke rate x Average Fixed carbon of BF coke.

Benchmark for carbon rate :450 kg/tonne

(b) Carbon rate in COREX Furnace may be worked out as follows:

Carbon rate in COREX Furnace = total coal rate in COREX Furnace X average fixed carbon fraction in non-coking coal. Average fixed carbon in non-coking coal is defined as 100-% ash in non-coking coal on dry basis. Thus, equivalent coal rate = coke consumption in reduction shaft per tonne of hot metal X replacement ratio. Benchmark for carbon rate : 575 kg/tonne.

(c) Benchmark for Fuel Rate for HBI / DRI - EAF plants : 2.5 G.cal/tonne

(ii) Blast Furnace, COREX Furnace, HBI or DRI Furnace productivity ($t/m^3/day$) 2

(a) BF, HBI or DRI furnace productivity is evaluated as Hot metal, HBI or DRI production per cubic metre of working volume of furnace per available day. Working volume for blast furnace is defined as the volume of the furnace contained between centre line of the tuyers and normal stock line/Big bell in open position. Available days are calculated as the difference of calender days and duration of capital repair. However, normal maintenance time should not be added to the capital repairs time.

Benchmark for blast furnace productivity : 2.39 t/m^3 / available day.

Benchmark for HBI / DRI furnace productivity : 9t/m^3/ available day.

(b) COREX Furnace Productivity

COREX Furnace productivity is evaluated as tonnes of hot metal produced per hour on yearly average basis. That is, COREX Furnace productivity is= annual production in tonne ÷ annual operating hours. Annual operating hours are estimated as the difference of calendar hours and the duration of capital repair and actual planed shut down days of the COREX – Furnace units, not exceeding 12 days per furnace per year. However, normal maintenance time should not be added to the capital repair time.

Benchmark for COREX furnace productivity : 100t/m^3 / available day.

(iii) Overall Specific Energy Consumption **4**

The calculation of overall specific energy consumption (G.cal/t of crude steel) should be based on IISI methodology.

The scale of evaluation for steel plants based on three different routes i.e. HBI or DRI & EAF route, COREX-BOF route, BF-BOF route will be different from each other.

The benchmark for specific energy consumption per tonne of crude steel for

a) BF-BOF route and COREX- BOF route based plants : 5.92 G.Cal/tcs and

b) HBI / DRI-EAF based plants : 5.0 G.Cal/tcs.

(iv) Labour productivity **2**

Calculated in terms of crude steel production per man year. Pig iron, HBI or DRI produced for sale will be given credit with an equivalent factor of 50% and Manpower will be reckoned in terms of works strength. Works manpower to be calculated after excluding non works departments like administration, marketing, finance, township, construction units, mines etc. but including production services like design, engineering shops etc. Besides, the manpower of centralized units of steel plants like maintenance department, captive engineering shops, refractory plants etc which are not directly linked to production may be excluded for calculating labour productivity.

The scale of evaluation for steel plants based on three different routes i.e. HBI or DRI & EAF route, COREX-BOF route, BF-BOF route will be different from each other.

If in any steel plant normal operation and maintenance is got done by outside contractors, the Panel of Judges will get input of such labour evaluated and add it to the regular man power reported by the plant.

5.3 FINANCIAL PERFORMANCE

Figures to be audited and certified by a practising Chartered accountant, not being an employees of the company and consistent with the published accounts.

i) Gross Margin/ Turnover Ratio **5**

Gross Margin is defined as profit before interest and depreciation. Turnover should be given for Iron & Steel products, including by - products arising out of the process of manufacture of Iron & Steel products. However, sale of products like CAN, Ferro Alloys, Raw materials*, bearings, Agrico products etc. will not be included. It should also exclude sales income derived from trading of products not manufactured by the plant.

Gross margin also relates to Iron & Steel products only as described above. Interest / Dividend income on investments is not to be considered. Inter plant transfers within the company and internal consumption are not to be considered. No policy profit / loss is to be considered.

* Raw materials and other arisings from normal manufacture of Iron & Steel, however, will be included.

ii) Gross margin / Average capital employed **2**

Gross margin is the same as defined in item i) above. Average Capital employed to include only net fixed assets.

iii) Turnover / Inventory ratio **2**

Turnover is the same as defined in item i) above. Inventory to include average finished and semi finished stock and should also include inventories of other materials like raw materials, stores and spares etc. The amount of sundry debtors should also be added to the inventories.

(iv) Expenditure capitalized over Gross Block **2**

5.4 EXPORT PERFORMANCE

i) Export tonnage ratio **2**

To be calculated as a ratio of quantity of Iron & Steel material exported and the total production of Saleable steel and Pig Iron / HBI / DRI. Only the quantity of Iron & Steel products manufactured by the plant and physically shipped out of the country, consistent with published accounts to be included in exports. Pig Iron / HBI / DRI to be given a substitution factor equivalent to 50%.

ii) Export Value ratio 3

Defined as a ratio of the foreign exchange earned and total turnover. Foreign exchange realisation to be given on F.O.B. basis and exports to be defined as at item i) above. Turnover to be defined as given under financial performance.

5.5 QUALITY OF PRODUCTS

i) Tested Steel (%) 1

To be evaluated in terms of ratio of saleable steel production and steels sold under tested to specified specifications. The plants will give a detailed list of the specifications against which the tested production is being reported. The Panel of Judges will take a final view on these.

ii) Special Grades Production 2

To be evaluated as % of saleable steel production in special grades. Only the following categories of steels will qualify to be considered as special steels :-

a) Steel grades with carbon content below 0.04% and above 0.4%.
b) Steels produced using secondary refining technologies such as VAD, VOD, RH or RHOB.
c) Steel grades with low H,O,N and Si.
d) Added alloys like Cr, Mo, Ni to impart better strength, impact toughness, creep or corrosion resistance.
e) Phase transformed grades containing hard phase (Bainite / martensite).
f) Interstitial free steels.
g) Thinner gauge Cold Rolled steel below 0.4 mm thickness.
h) Any other category of steel with value more than 20% compared to similar category product.

iii) New Products developed **2**

To be evaluated in terms of tonnage of new products as percentage of saleable steel production. Products being produced for the first time in the plant will be considered as new products. A citation on new products must be accompanied by a note on the developmental efforts and distinctive feature. The Panel of Judges will take a final view.

5.6 CUSTOMER SATISFACTION

(i) Process responsible for Marketing and customer Satisfaction **5**

Evaluation of the process responsible for marketing and customer satisfaction to be evaluated by the Panel of Judges on the basis of answers to the following questions:

- How does the plant determine the customer groups and/or market segments?
- How does the plant determine the requirements of the customer groups or market segments?
- How are the information from existing/potential customers and complaints used in determining the customer requirements?
- How does the plant translate the customer requirements into new product and/or service design?
- How does the plant evaluate and improve its process of listening to and learning from different customer groups?
- How does the plant provide access to the customers to seek assistance and voice complaints?
- How does the plant seek prompt and actionable feed back from customers?
- How does the plant build relationships, loyalty and positive referral with its customers?

(ii) Customer Satisfaction **10**

A survey of the customers of different plants to be done by an independent market research agency to include factors like price, timely delivery, technical specifications, availability of materials, commercial terms, stock yard facilities, billing and accounts process, behaviour of personnel, attending to the customer complaints, after sales service, pre-

sales contact, packaging etc. Weight-age for these factors to be determined in discussion with the Panel of Judges.

5.7 ENVIRONMENT MANAGEMENT

(i)	Air pollution To be evaluated as percentage of stacks meeting CPCB norms on suspended particulate matter	**1**
(ii)	Water pollution To be evaluated as specific pollution load per tonne of crude steel	**1**
(iii)	Solid waste Utilisation To be evaluated as percentage of solid wastes utilised/recycled/sold.	**1**
(iv)	Water Consumption Make up water consumption in the works per tonne of crude steel.	**1**

5.8 ENABLING PARAMETERS

(i)	Leadership	**4**
(ii)	Policy & Strategy	**4**
(iii)	Resource Management	**4**
(iv)	People Management	**4**
(v)	Process Management	**9**

Assessment to be done by a team of trained assessors. The broad guidelines for assessment and its supplements are given at **Annexure-I & Annexure –II** respectively.

5.9 PLANT VISITS

Observations of the Panel of Judges	**20**

The Panel of Judges will undertake plant visit to each plant for a minimum period of two days for evaluation of the specified parameters and such other parameters which the Panel of Judges may deem fit.

Based on their observations during Plant visits on various factors like House keeping, Environment management and afforestation, Peripheral and ancillary development, safety training and efforts made to avoid fatal accidents, industrial relations, equipment health, workers' and supervisors' participation in management through small group activities like Suggestion Schemes and Quality Circles, Research and Development efforts, Management Leadership and motivation and their impression about the operation of the steel plant to achieve international standards of efficiency, quality and economy.

6.0 SCALE OF EVALUATION

The evaluation shall be done on a scale of 1 to 5 by linear method.
Score:
(i) For parameter value below and upto the minimum (worst value)= 1
(ii) For parameter value between "worst value" and "best value"= between 1-5, using a straight line
(iii) For Parameter values above the "best value" =5 rounded off to first decimal.
The "best values" and "worst values" for each of the parameters for objective evaluation are given at **Annexure-III**

7.0 UTILIZATION OF AWARD MONEY

7.1 The plant management of the award winning plants will spend the money to enhance the quality of life of the work force in the following areas, depending upon the need of the plant concerned :

a) Improvement in the area of occupational health of the employees including hospital facilities,
b) A small portion (say up to 10%) may be allotted to the best department for organization of welfare programmes for the employees.
c) A substantial portion of the money can be kept in Fixed Deposit, the returns of which may be utilized for awarding merit-cum-means scholarships to the children of the employees for pursuit of education and training.
d) Upgradation of community centres in the Township.
e) Upgradation of facilities for sports and cultural activities in the township.
f) Financial help for rehabilitation of employees disabled due to accidents in work place.

g) Setting up / extension / addition / modification of educational / practical training centres for the dependents of the employees.

h) Educational / practical training programmes for women / scheduled caste / scheduled tribe or other weaker sections of the employees; and

i) Assistance to educational / training centres / health and sanitation programmes, water supply programmes etc for people living in the periphery of the plant.

7.2 The fund will be administered by a Joint Committee consisting of representatives of the Management of steel plant, the recognized unions and the officers' Association.

7.3 The audit cover provided to the funds of steel plant would also be audited the above mentioned funds.

8.0 SCHEDULE

Time frame of the assessment and award process :-

Activity	Time Frame
• Appointment of assessors and Assessment of enabling parameters	April-August
• Appointment of Panel of Judges	August
• Invitation of application for Trophy	August
• Plant visit of Panel of Judges	October – December
• Final report of the Panel of Judges	28th February

Annexure—I

RECOMMENDED GUIDELINES FOR ASSESSMENT OF ENABLING PARAMETERS

Criterion 1. Leadership

Definition

How leaders develop and facilitate the achievement of the mission and vision, develop values required for long term success and implement these vis appropriate actions and behaviours, and are personally involved in ensuring that the organisation's management system is developed and implemented.

Sub-criteria

Leadership covers the following four sub-criteria that should be addressed.

1a. Leaders develop the mission, vision and values and are role models of a culture of Excellence.

This may include :

- Developing and organisation's mission and vision;
- Developing and role modelling ethics and values which support the creation of the organisation's culture;
- Reviewing and improving the effectiveness of their own leadership and acting upon future leadership requirements;
- Being personally and actively involved in improving activities;
- Stimulating and encouraging empowerment creativity and innovation, e.g. by changing the organisation's structure, funding learning and improvement activities;
- Encouraging, supporting and acting upon the findings of learnings activities;
- Prioritising improvement activities;
- Stimulating and encouraging collaboration within the organisation.

1b. Leaders are personally involved in ensuring the organisation's management system is developed, implemented and continuously improved.

This may include :

- Aligning the organisation's structure to support delivery of its policy and strategy;
- ensuring a system for management processes is developed and implemented;
- ensuring a process for the development, deployment and updating of policy and strategy is developed and implemented;
- Ensuring a process for the measurement, review and improvement of key results is developed and implemented.
- Ensuring a process, or processes, for stimulating, identifying, planning and implementing improvements to enabling approaches, e.g. through creativity innovation and learning activities, is developed and implemented.

1c. Leaders are involved with customers, partners and representatives of society.

This may include :

- Meeting, understanding and responding to needs and expectations;

— Establishing and participating in partnership;

— Establishing and participating in joint improvement activity;

— Recognising individuals and teams of stakeholders for their contribution to the business, for loyalty etc;

— Participating in professional bodies, conferences and seminars, particularly promoting and supporting Excellence;

— Supporting and engaging in activities that aim to improve the environment and the organisation's contribution to society.

1d. Leaders motivate, support and recognise the organisation's people.

This may include :

— Personally communicating the organisation's mission, vision,values, policy and strategy, plans, objectives and targets to people;

— Being accessible, actively listening and responding to people;

— Helping and supporting people to achieve their plans, objectives and targets;

— Encouraging and enabling people to participate in improvement activity;

— Recognising both team and individual efforts, at all levels within the organisation, in a timely and appropriate manner.

Criterion 2 Policy and Strategy

Definitions

How the organisation implements its mission and vision via a clear stakeholder focessed strategy. Supported by relevant policies, plans, objectives, targets and process.

Sub-criteria

Policy and strategy cover the follwing give sub-criteria that should be addressed :

2a. Policy and strategy are based on the present and future needs and expectations of stakeholders.

This may include :

— Gathering and understanding information to define the market and market segment the organisation will operate in both now and in the future;

— Understanding and anticipating the needs and expectations of customers, employees, partners, society and shareholders, as appropriate;

— Understanding and anticipating development in the market place, including competitor activity.

2b. Policy and strategy are based on information from performance measurement, research learning and creativity activities.

This may include :

— Colleting and understanding output from internal performance indicators;

— Collecting and understanding the output from learning activities;

— Analysing the performance of competitors and best in class organisations;

— Understanding social, environmental and legal issues;

— Identifying and understanding economic and demographic indicators;

— Understanding the impact of new technologies;

— Analysing and using stakeholders' ideas.

2c. Policy and strategy are developed, reviewed, updated.

This may include :

— Developing policy and strategy consistent with the organisation's mission, vision and values and based on the needs and expectations of stakeholders and information from learning and innovation activities;

— Balancing the needs and expectations of stakeholders;

— Balancing short and long term pressures and requirements;

— Developing alternative scenarios and contingency plans to address risks;

— Identifying present and future competitive advantage;

— Aligning and organisation's policy and strategy with partners' policy and strategy;

— Reflecting and fundamental concepts of Excellence in policy and strategy;

— Evaluating the relevance and effectiveness of policy and strategy;

— Identifying critical success factors;

— Reviewing and updating policy and strategy.

2d. Policy and strategy are deployed through a framework of key processes.

This may include :

— Identifying and designing the framework of key processes needed to deliver the organisation's policy and strategy;

— Establishing clear ownership of the key processes;

— Defining the key processes including the identification of stakeholders;

— Reviewing the effectiveness of the framework of key processes to deliver policy and strategy.

2e Policy and strategy are communicated and implemented.

This may include :

— Communicating and cascading policy and strategy, as appropriate;

— Using policy and strategy as the basis for planning of activities and the setting of objectives and targets throughout the organisation;

— Aligning, prioritising, agreeing and communicating plans, objectives and targets;

— Evaluating the awareness of policy and strategy.

Criterion 3 People

Definition

How the organisation manages, develops and releases and knowledge and full potential of its people at an individual, team-based and organisation-wide level, and plans these activities in order to support its policy and strategy and the effective operation of its processes.

Sub-criteria

People cover the following five sub-criteria that should be addressed.

3a. People resources are planned, managed and improved.

This may include :

— Developing human resource policies, strategies and plans;

— Involving employees, and their representatives in developing human resources policies, strategies and plans;

— Aligning the human resources plans with policy and strategy, the organisational structure and the framework of key processes;

— Managing recruitment and career development;

— Ensuring fairness in all terms of employment including equal opportunities;

— Using people surveys and other forms of employee feedback to improve human resource policies, strategies and plans;

— Using innovative orgnaisation methodologies to improve the way of working, e.g. restructuring the supply chain, matrix working, flexible team working, high performance work team.

3b. People's knowledge and competencies are identified, developed and sustained.

This may include :

— Identifying, classifying and matching people's knowledge and competencies with the organisation's needs;

— Developing and using training and development plans to help ensure people match the present and future capability needs of the orgainsation;

— Designing and promoting individuals, team and organisational learning opportunities;

— Developing people through work experience;

— Developing team skills;

— Aligning individual and team objectives with the orgainsation's targets;

— Reviewing and updating individual and team objectives;

— Appraising and helping people improve their performance.

3c. People are involved and empowered.

This may include :

— Encouraging and supporting individual and team participation in improvement activities;

— Encouraging and supporting people's involvement through in-house conferences and ceremonies;

— Providing opportunities which stimulate involvement and support innovative and creative behaviour;

— Empowering people to take action;

— Encouraging people to work together in teams.

3d. People and the organisation have a dialogue

This may include :

— Identifying communication needs;

— Developing communication policies, strategies and plans based on communications needs;

— Developing and using top down, bottom up and horizontal communication channels;

— Sharing best practise and knowledge.

3e. People are rewarded, recognised and cared for

This may include :

— Aligning remuneration, redeployment, redundancy and other teams of employment with policy and strategy;

— Recognising people in order to sustain their involvement and empowerment;

— Promoting awareness and involvement in health, safety, the environment and issues on social responsibility;

— Setting the levels of benefits, e.g. pension plan, health care, child care;

— Promoting social and cultural activities;

— Providing facilities and services, e.g. flexible hours, transport.

Criterion 4 Partnerships and Resources

Definition

How the organisation plans and manages its external partnerships and internal resources in order to support its policy and strategy and the effective operation of its processes.

Sub-criteria

Partnerships and resources cover the following five sub-criteria that should be addressed

4a. External partnerships are managed

This may include :

— Identifying key partners and strategic partnership opporunities in line with policy and strategy;

— Structuring partnership relationships to create and maximise value;

— Forming value adding supply chain partnerships;

— Ensuring cultural compatibility and the sharing of knowledge with partner organisations;

— Supporting mutual development;

— Generating and supporting innovative and creative thinking through the use of partnerships;

— Creating synergy in working together to improve processes and add value to the customer/supplier chain.

4b. Finances are managed

This may include :

— Using financial resources in support of policy and strategy;

— Developing and implementing financial strategies and processes;

— Evaluating investment in both tangible and non-tangible assets;

— Using financial mechanisms and parameters to ensure an efficient and effective and resourcing structure;

— Managing risks to financial resources.

4c. Buildings, equipment and materials are managed

This may include :

— Utilising assets in support of policy and strategy;

— Managing and maintenance and utilisation of assets to improve total asset life cycle performance;

— Managing the security of assets;

— Measuring and managing any adverse effects of the organisation's assets on the community and employees (including health and safety);

— Optimising material inventories;

— Optimising consumption of utilities;

— Conserving global non-renewable resources;

— Reducing any adverse global impact of products and services.

4d. Technology is managed

This may include :

— Identifying and evaluating alternative and emerging technologies in the light of policy and strategy and their impact on business and the society;

— Managing the technology portfolio;

— Exploiting existing technology;

— Innovating technology;

— Harnessing technology to support improvement;

— Identifying and replacing 'old' technologies.

4e. Information and knowledge are managed

This may include :

— Collecting, structuring and managing information and knowledge in support of policy and strategy;

— Providing appropriate access, for both internal and external users, to relevant information and knowledge;

— Assuring and improving information validity, integrity and security;

— Cultivating, developing and protecting unique intellectual property in order to maximise customer value;

— Seeking to acquire, increase and use knowledge effectively;

— Generating innovative and creative thinking within the organisation through the use of relevant information and knowledge resources.

Criterion 5 Processes

Definition

How the organisation designs, manages and improves its processes in order to support its policy and strategy and fully satisfy, and generate increasing value for, its customers and other stakeholders.

Sub-criteria

Processes cover the following five sub-criteria that should be addressed :

5a. Processes are systematically designed and managed

This may include :

— Designing the orgainsation's processes, including those key processes needed to deliver policy and strategy;

— Establishing the process management system to be used;

— Applying systems standards covering for example, quality systems such as ISO 9000, environmental systems, occupational health and safety systems in process management;

— Implementing process measures and setting performance targets;

— Resolving interface issues inside the organisation and with external partners for the effective management of end-to-end processes.

5b. Processes are improved, as needed using innovation in order to fully satisfy and generate increasing value for customer and other stakeholders.

This may include :

— Identifying and prioritising opportunities for improvement, and other changes, both incremental and breakthrough;

— Using performance and perception results and information from learning activities to set priorities and targets for improvement and improved methods of operation;

— Stimulating and bringing to bear the creative and innovative talents of employees, customers and partners in incremental and breakthrough improvements;

— Discovering and using new process designs, operating philosophies and enabling techn[illegible];

— Establishing appropriate methods; for implementing change;

— Piloting and controlling the implementation of new or changed processes;

— Communicating process changes to all appropriate stakeholders;

— Ensuring people are trained to operate new or changed processes prior to implementation;

— Ensuring process changes achieve predicted results.

5c. Products and services are designed and developed based on customer needs and expectations

This may include :

— Using market research, customer surveys and other forms of feedback to determine customer needs and expectations for products and services both now and in the future and their perceptions of existing products and services;

— Anticipating and identifying improvements aimed at enhancing products and services in line with customers' future needs and expectations;

— Designing and developing new products and services to address the needs and expectations of customers;

— Using creativity and innovation to develop competitive products and services;

— Generating new products with partners.

5d. Products and Services are produced, delivered and serviced

This may include :

— Producing or acquiring products and services in line with designs and developments;

— Communicating, marketing and selling products and services to existing and potential customers;

— Delivering products and services to customers;

— Servicing products and services, where appropriate.

5e. Customer relationships are managed and enhanced

This may include :

— Determining and meeting customers day to day contact requirements;

— Handling feedback received from day to day contacts including complaints;

— Proactive involvement with customers in order to discuss and address their needs expectations and concerns;

— Following up on sales, servicing and other contacts in order to determine levels of satisfaction with products, services and other customer sales and servicing processes;

— Seeking to maintain creativity and innovation in the customer sales and servicing relationship;

— Using regular surveys, other forms of structured data gathering and data gathered during day to day customer contacts in order to determine and enhance customer relationship satisfaction levels.

Annexure-II

SUPPLEMENTS TO THE GUIDELINES FOR ASESSMENT OF ENABLING PARAMETERS AT ANNEXURE-II

a) Data Collection

Data will be collected through a questionnaire. Each of the questions will relate to a select area of address covered in one of the sub-criteria mentioned under enabling parameters under Annexure I I. Responding organization is required to answer the question with necessary supporting evidences. An answer should include quantitative or qualitative or both kinds of data.

Those data to be furnished may relate to process or output aspects of each of the enabling criteria/sub-criteria.

b) Evaluation

Response on each of the questions will be evaluated based on the process maturity model. The evaluation will follow a graded ranking method where markings will made in two stages-course and final ones.

c) Illustrations:

(Criteria, sub-criteria and areas to address mentioned below are quoted from Annexure-II of recommended guidelines.)

Example-I
Criteria-Leadership
Sub-criteria-Leaders develop the mission, vision and values and are role models of a culture of Excellence.

Areas to address- Developing and organization's mission and vision.

Questions

a) Please state the vision for the enterprise?
b) How have you arrived at the vision?
c) How do you ensure the continuing relevance of the above vision?

Example II

Criteria_ Leadership
Sub-criteria- Leaders are involved with customers, partners and representatives of society.
Area to address- Supporting and engaging in activities that aim to improve the environment and the organization's contribution to society.

Questions

a) What is your organization policy for corporate social responsibility?
b) What are the institutional setups for develivery of the intended responsibility ?
c) What is the nature of activities undertaken especially with identified criteria?

Example III

Criteria - Partnerships and resources
Sub-criteria- Buildings, equipment and materials are managed.

Area to address- Managing and maintenance and utilization of assets to improve total asset life cycle performance.

Sub-Area - Facility maintenance planning and control.

Questions

a) Describe your maintenance policy.
b) Describe the process of maintenance planning and control
c) Describe the process of improving maintenance practices.

d) Timing:

Questionnaire is now under preparation. The final questionnaire will be sent to each of the responding organizations in the middle of Oct., 2005.

Annexure-III

THE BEST AND WORST VALUES FOR AWARDING SCORES IN A FIVE POINT SCALE BY LINEAR METHOD FOR OBJECTIVE PARAMETERS

S.NO.	PARAMETER	Unit of Measurement	BEST VALUE	WORST VALUE
1	Capacity Utilistion	%	120.0%	90%
2	Carbon rate in Blast Furnaces	Kg/thm	450	500
2.1	Fuel consumption In HBI/DRI Units	Gcal/t	2.5	3.0
2.2	Coal rate in Corex Units	Kg/thm	575	675
3	Blast Furnace Productivity	Kg/m3/day	2.39	1.0
3.1	Productivity of HBI Units	t/day/m3	9.0	8.0
3.2	Productivity of Corex Furnaces	t/hr	100	90
4	Energy Consumption (BF/Corex+BOF Plants)	Gcal/tcs	5.91	9.0
4.1	Energy Consumption (HBI+EAF Plants)	Gcal/tcs	5.0	6
5	Labour Productivity (BF+BOF Plants)	t/man/year	280	100
5.1	Labour Productivity (HBI+EAF Plants and Corex + BOF Plants)	t/man/year	1800	800

5.2	Labour Productivity (Corex+BOF Plants)	t/man/year	480	250
7	Gross Margin/Turnover Ratio	Ratio	30.0%	10.0%
8	Gross Margin/ Capital Employed	Ratio	90.0%	20.0%
9	Turnover/Inventory Ratio	Ratio	12	5
11	Export Tonnage Ratio	Ratio	40.0%	5.0%
12	Export Value Ratio	Ratio	40.0%	5.0%
13	Quality of Steel Tested to Specifications	%	100.0%	85.0%
14	Special Steel Production	%	70.0%	20.0%
15	New Products Developed	Nos.	20	2
17	Air Pollution	% of Stacks in Norms	100%	95%
18	Water Pollution	Kg/tcs	0.1	1.99
19	Solid Waste Utilisation	%	90.0	30.0%
20	Specific Water Consumption	M3/tcs	2	8

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 8th December 2005

No. 8-217/2004-PP.I (pt.)—In partial modification of Government of India, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation Notification No. 8-97/91-PP.I dated 26.11.1993 and F. No. 8-217/2004-P.P.I (pt.) dated 20.7.2004, it is hereby notified for general information that the following institutions and officers of the State Government are authorized to inspect, fumigate or disinfect and to grant Phytosanitary Certificate in respect of Plants and plants materials intended for export to other countries which require such certificate. Accordingly in the said notification the following shall be added under the relevant heads :

1. Central Government

(xxv) The Officer in Charge
Plant Quarantine Station
Kandla, Gujarat
[Code No. 'C' (PPQ&S) 1(27)]

(xxvi) The Officer in Charge
Plant Quarantine Station
Mangalore, Karnataka
[Code No. 'C' (PPQ&S) 1(28)]

(xxvii) The Officer in Charge
Plant Quarantine Station
Trichy, Tamil Nadu
[Code No. 'C' (PPQ&S) 1(29)]

(xxviii) The Officer in Charge
Plant Quarantine Station
Guwahati, Assam
[Code No. 'C' (PPQ&S) 1(30)]

(xxix) The Officer in Charge
Plant Quarantine Station
Bangalore, Karnataka
[Code No. 'C' (PPQ&S) 1(31)]

2. States/UTs

Rajasthan

(iii) Joint Director of Agriculture
Directorate of Agriculture, Govt. of Rajasthan,
Jodhpur (Ext.), Rajasthan
[Code No. 'S' (RAJ 3)]

(iv) Joint Director of Agriculture
Directorate of Agriculture, Govt. of Rajasthan,
Kota (Ext.), Rajasthan
[Code No. 'S' (RAJ 4)]

(v) Joint Director of Agriculture
Directorate of Agriculture, Govt. of Rajasthan,
Sriganganagar (Ext.), Rajasthan
[Code No. 'S' (RAJ 5)]

(vi) Joint Director of Agriculture
Directorate of Agriculture, Govt. of Rajasthan,
Jaipur (Ext.), Rajasthan
[Code No. 'S' (RAJ 6)]

(vii) Joint Director of Agriculture
Directorate of Agriculture, Govt. of Rajasthan,
Udaipur (Ext.), Rajasthan
[Code No. 'S' (RAJ 7)]

(viii) Joint Director of Horticulture
Directorate of Agriculture, Govt. of Rajasthan,
Jaipur (HQ), Rajasthan
[Code No. 'S' (RAJ 8)]

Further, it is also stated that in the notification No. 8-97/91-PP.I dated 26.11.1993 the existing entries shall be substituted by the following :

Andaman & Nicobar Island

(iv) Plant Protection Officer (HQ),
U.T. of Andaman & Nicobar Administration,
Portblair,
[Code No. 'UT' (A&N) 4]

Haryana

(ii) Deputy Director Agriculture (Plant Protection),
Haryana, Chandigarh
[Code No. 'S' (H) 2]

ASHISH BAHUGUNA
Jt. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 29th November 2005

No. F. 20-5/2004-TS.III.—

Consequent upon approval by the Union Cabinet to the proposal of the Government of Chhattisgarh regarding upgradation of the Engineering College, Raipur as National Institute of Technology, the Central Government hereby takes over the full administrative and financial control of the above Institute. This notification will come into force with effect from 01.12.2005. Hereafter, the Engineering College, Raipur shall be known as National Institute of Technology (NIT), Raipur.

2. The NIT, Raipur would be integrated with other National Institutes of Technology in terms of academic and administrative practices from the academic session 2006-2007. However, the Institute would be given grant-in-aid under Plan & Non-Plan from the current financial year i.e. 2005-2006 in accordance with the approved pattern of assistance as applicable to other National Institutes of Technology.

3. All liabilities of the aforesaid Institute up to 30.11.2005 shall be borne by the State Government of Chhattisgarh. Further, detailed terms & conditions governing the service conditions of all the employees in the Institute as on 1.12.2005 would be notified separately. In the meanwhile, the Institute would prepare a detailed Register of Assets & Liabilities as on 1.12.2005. Further, the Institute shall be governed in accordance with the instructions to be issued by the Ministry of Human Resource Development (Department of Secondary & Higher Education) from time to time hereafter. In the absence of any instruction, it shall be governed by the general order as applicable to similar other Centrally funded institutions.

RAVI MATHUR
Jt. Secy.

(DEPARTMENT OF ELEMENTARY EDUCATION & LITERACY)

New Delhi, the 30th September 2005

Subject:- **Delegation of powers and responsibilities to the Executive committee of the Sarva Shiksha Abhiyan(SSA) National Mission.**

No. 2-2/2005-EE.3.—

In pursuance of the power delegated vide Govt. of India notification No.F.2-4/2000-Desk(EE) dated 2.1.2001 to the Governing Council of the Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) National Mission to frame its own rules and procedures, the Governing Council in its First Meeting held on 21st February, 2005 resolved the following delegation of powers and responsibilities to the various bodies of the National Mission of SSA:-

POWERS AND RESPONSIBILITIES OF THE GOVERNING COUNCIL

As per the Notification F.2-4/2000-EE.3 dated 3.12.2004, the Council shall be the apex policy planning body for elementary education in India. Within the Budget provision approved by Parliament, the Council have full autonomy for their utilization. More specifically, the Governing Council would:-

i) Review the implementation progress of SSA in various states;

ii) Give overall policy guidance and direction regarding the objectives for better implementation;

iii) Give directions, as may be necessary to the Executive Committee;

iv) Call for special reports on specific issues on national/regional importance;

v) Suggest for convergence between other programmes and schemes of other Departments/Ministries that impact on children's education;

vi) Help strengthen centre-state partnership in implementation of SSA;

vii) Help strengthen the involvement of elected political leadership, voluntary agencies and the private sector in the Mission for achieving universalisation of elementary education.

viii) Provide guidance and directions to the Executive Committee.

POWER AND RESPONSIBILITIES OF THE EXECUTIVE COMMITTEE

i) To conduct a regular review of the progress of implementation of SSA in the country;

ii) Approve modifications in the norms, including financial norms of SSA interventions, as may be necessary, within the approved parameters of the scheme of Sarva Shiksha Abhiyan;

iii) Discuss and devise meaningful involvement of Panchayati Raj Institutions and voluntary organizations in the planning and implementation of SSA ;

iv) Promote convergence of SSA with other programmes and schemes of the education department;

v) Provide guidance for functioning of the Project Approval Board; and

vi) Constitute the national level sub-missions and supervise their functioning.

POWERS AND FUNCTION OF PROJECT APPROVAL BOARD (PAB)

i) Discuss and approve the Annual Work Plan and Budget of SSA(including DPEP, NPEGEL and KGBV, wherever applicable) for districts, UTs and states of the country;

ii) Provide administrative clarifications and instructions regarding SSA norms and implementation procedures;

iii) Discuss, formulate and recommend changes in norms, including financial norms to the Executive Committee;

iv) Review the implementation of SSA in each State/UT through half-yearly meetings with Education Secretaries/State Project Directors of each State/UT and / or other mechanisms.

v) Suggest proposals for modifications in the SSA Framework for Implementation to the Executive Committee as and when required, in consultation with State/UTs;

vi) Discuss with representatives of State Government/State Implementation Societies matters of educational policies and reforms that impact on SSA implementation or the progress towards UEE;

vii) The PAB would also discuss matters of inter-departmental coordination and convergence in elementary education.

ORDERED that a copy of the Notification be communicated ω all members of the Governing Council and the Executive Committee of the SSA National Mission.

ORDERED that a copy of the Notification be sent all Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Notification be published in the Gazette of India for general information.

VRINDA SARUP
Jt. Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 2nd December 2005

No. ERB-I/2004/23/29.—

Reference Ministry of Railways (Railway Board)'s Notification of even number dated 04.09.2004 regarding constitution of High Level Committee for a period of 3 months with effect from 05.09.2004 under the Chairmanship of Justice U.C. Banerjee, Judge (Retd), Supreme Court of India, to inquire into the incident of fire in Train No. 9166 Sabarmati Express at Godhra Station on 27.2.2002 and further Notifications of even number dated 30.11.2004, 04.03.2005, 01.06.2005 and 01.09.2005 extending the tenure of the High Level Committee up to 04.03.2005, 04.06.2005, 04.09.2005 and 04.12.2005 respectively.

2. The Government of India have decided to extend the tenure of the said High Level Committee for another 3 months beyond 04.12.2005, i.e., upto 04.03.2006.

By Order and in the name of the President of India.

ORDER

Ordered that the Notification be published in the Gazette of India for general information.

M. K. AGARWAL
Secy. Railway Board

No. ERB-I/2004/23/29(1).—

WHEREAS Government of India, Ministry of Railways, in exercise of powers under Article 73 of the Constitution of India, considered necessary to constitute a High Level Committee to inquire into the incident of fire in Train No.9166, Sabarmati Express on 27th February 2002 at Godhra Station and to ascertain the cause of fire and general matters connected therewith and incidental thereto; and

WHEREAS vide Notification No.ERB-I/2004/23/29 dated 4th September 2004 constituted a High Level Committee consisting of Mr. Justice U.C. Banerjee, a retired Judge of Supreme Court in terms of the Cabinet Secretariat's letter No. 105/1/1/75-CF dated 20.11.1975; and

WHEREAS vide Notification No. ERB-I/2004/23/29 dated 02.12.2005, the tenure of the High Level Committee has further been extended upto 04.03.2006; and

WHEREAS pursuant to the said Notification dated 4th September 2004 the Committee has since commenced its investigation and, in the process examined many witnesses and perused records but its investigations could not be completed for lack of cooperation from some vital witnesses for being examined and/ or to produce related documents; and

WHEREAS in view of the difficulties being experienced by the Committee in effecting appearances of some witnesses and for ensuring production of related evidences/documents, it is felt by the Government of India, the Ministry of Railways that it is utmost necessary that all provisions (including provision of Sub-Section (2) to (5) of Section 5) of the Commissions of Inquiry Act, 1952 should be made applicable to the High Level Committee consisting of Mr. Justice U.C. Banerjee, retired Judge of the Supreme Court, appointed in terms of Notification dated 4th September, 2004.

NOW, THEREFORE, the Government of India, the Ministry of Railways in exercise of powers conferred by Section 11 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 directs that all the provisions of the said Act shall apply to the said High Level Committee.

By Order and in the name of the President of India.

ORDER

Ordered that the Notification be published in the Gazette of India for General Information.

M. K. AGARWAL
Secy. Railway Board

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2005
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2005.